हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 अप्रैल, 1988

खण्ड 1, अंक 14

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 6 अप्रैल, 1988

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(14)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(14)25
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(14)26
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –	

तहसील हिसार के हरियाणा अधिकारी को टेलिफोन पर केन्द्रीय कृषि मन्त्री द्वारा कथित धमकी देने सम्बन्धी	(14)30
वक्तव्य –	
ग्रह मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(14)31
वक्तव्य	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सं० 16 पर गृह मन्त्री द्वारा दिए गए **वक्तव्य** पर चर्चा के लिए समय अलौट करना	(14)32
विभिन्न विषयो का उठाया जाना	(14)33
बिल्ज–	
(1)दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउसिंज औफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैट)बिल, 1986	(14)34
(2)दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाउसिज (अमैंडमैंट) बिल, 1988	(14)59
(3)दि हरियाणा लैजिस्सेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन्शन औफ मैम्बर्ज)अमैंडमैंट बिल, 1988	(14)61
(4)दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट (अमैंडमैंट)बिल, 1988	(14)62

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 6 अप्रैल, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातरू 9–30 बजे हुई (अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा)ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Upgradation of schools

***154. Shri Jai Singh Rana** : Will the Minister of Education be pleased to state the total number of Govt. Schools, if any, proposed to be upgraded from Primary to Middle, Middle to High and High to 10+2 system schools in the Nilokheri Constituency during the year 1988-89 ?

श्री अध्यक्षः मैम्बर्ज साहेबान अब सवाल होंगे।

शिक्षा मन्त्री (श्री खुरशीद अहमद): जी नहीं।

श्री जय सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र नीलोखेड़ी में जब 2– 3 साल पहले से दस जमा दो शिक्षा प्रणाली के लिए एक भवन बना हुआ है तो इस स्कूल को चालू करने में क्या दिक्कत है?

श्री खुरशीद अहमदः स्कूलों की अपग्रेडेशन प्लानिंग के मुताबिक होती है। इस साल के बजट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जहां तक नीलोखेड़ी के किसी खास स्कूल के बारे में सवाल का ताल्लुक है, इसके लिए अलग से नोटिस दिया जाए तो उसका हर पहलू से जवाब दे दिया जाएगा।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि नीलोखेड़ी के इलावा प्रदेश में मिडल या दस जमा दो प्रणाली का कोई स्कूल खोला जाना प्रस्तावित है या नहीं? यदि नहीं तो शिक्षा के बारे में इस सरकार की प्रोग्रैसिव नीति क्या है?

श्री खुरशीद अहमदः श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने बड़ा बुनियादी सवाल पैदा कर दिया है कि शिक्षा की मांग हर हल्के से आ रही है। राज्य भर में कितने स्कूल अपग्रेड होने चाहिएं या कितने स्कूल अपग्रेड नही होने चाहिएं यह एक पेचीदा मसला है। हमने इसी साल प्रदेश में 100 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिये केस प्लानिंग ग्रुप को भेजा। दिल्ली में इस बारे में काफी बहस भी चली लेकिन गवर्नमैंट आफ इण्डिया के प्लानिंग कमीशन ने इसके लिए सहमति प्रकट नहीं की कि स्कूलों को अपग्रेड करने की जरूरत हैं। पिछले साल की प्लान में 1987–88 के लिए भी हमने स्कूलों को अपग्रेड करने का प्रावधान रखा था लेकिन उसका रिजल्ट भी यही निकला कि केन्द्रीय सरकार का प्लानिंग ग्रुप स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए राजी नहीं हुआ। इसके बाद हमने

वर्ष 1988–89 के लिए 100 स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए केस भेजा वर्किंग ग्रुप में डिस्कशन के बावजूद भी प्लानिंग कमीशन ने हमारी यह बात स्वीकार नहीं की जिसके फलस्वरूप कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया जा सका।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी टोटल में कुछ बता रहे हैं लेकिन कुछ दिन पहले एक सवात के जवाब में इन्होंने माना था कि बजट में फण्डज को देखते हुए हम इस साल स्कूलों को अपग्रेड नहीं कर सके। यह सही था जो ये अब बता रहे हैं, वह सही है। दूसरा सवाल यह है कि पिछली दफा सरकार ने जो टारगैट फिक्स किया था उसके मुताबिक कितने स्कूल हर हल्के में अपग्रेड किये गए हैं? हो सकता है कि कुछ हल्कों में उस समय स्कूल अपग्रेड न किये गए हों लेकिन जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है कितने स्कूलों को अपग्रेड किया गया है? अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्लानिंग कमीशन इसके लिए मना कर रहा है या बजट में फण्डज की कमी के कारण स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया जा रहा, यह बात हमारी समझ में नहीं आई?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, लगता है कि इन्होंने मेरे जवाब को ध्यान से नहीं सुना। हमारे जो कुछ रिजल्टस रहे हैं वे उन अचीवमैंटस के बेसिज पर हैं, जो पिछली सरकार की प्लानिंग कमीशन के सामने थी। जब पिछली सरकार ने प्लानिंग कमीशन को यह केस पेश किया तो यह केस रिजैक्ट हो

गया। प्लानिंग टारगैट्स जो हमारे सामने थे उनमें 500 प्राईमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में अपग्रेड करना था और 100 स्कूल हमने मिडल से हाई करने थे। लेकिन हुआ यह कि पहले ही साल 1985–86 में जो मिडल का कोटा था और सातवीं पंचवर्षीय योजना का टोटल कोटा 1985–86 में पूरा कर दिया 1985–86 में मिडल से हाई स्कूल प्लानिंग से 102 ऐक्सैस कर दिए। वर्ष 1986–87 में कोटा मार्च तक खत्म हो गया था, हालांकि इलैक्शन निकट था लेकिन हमारे से पहले जो पार्टी सत्ता में थी वह भी कुछ नहीं कर पाई।

उस साल उन्होंने अपना कोटा तो ऐग्जास्ट किया लेकिन प्राईमरी स्कूलों का जो हमारा कोटा 500 का था उसमें से भी 297 को उन्होंने अपग्रेड कर दिया। इसी तरह से मिडल स्कूलों का कोटा उन्होंने ऐक्सैस में अपग्रेड कर दिया। इसलिए प्लानिंग कमीशन ने इनकी प्रपोजल को रह कर दिया और नैकस्ट प्लान के लिए भी इनकी बात को प्लानिंग कमीशन ने नहीं माना। इसी बेसिज पर यानी जो कांग्रेस सरकार ने कर रखा था, इनकी अचीवमैन्टस पर हमारी आर्गुमैंट भी प्लानिंग कमीशन ने नहीं सुनी और हमारी रिकमैण्डेशन्ज को भी रिजैक्ट कर दिया। इस प्रकार जो कुंआ कांग्रेस सरकार ने खोदा था, उसको पाटना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया।

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, यह स्कूलों के अपग्रेडेशन का सवाल है। चौधरी देवी लाल दिसम्बर के महीने में

हमारे पाई हल्के के कोरडा गांव में गए थे। वे वहां के लिये 10 जमा 2 का स्कूल डिकलेयर करके आए थे। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपए की राशि लड़कियों का मिडल स्कूल बनाने की थी। तो क्या 10 जमा 2 का स्कूल इस साल चालू कर दिया जाएगा?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, जो इस तरह की अनाउसमैंटस हैं उनके लिए बजट के अलावा दूसरा पैसा मुहैया करना पडेगा। बजट में तो इसके लिए पैसा है नहीं, इसलिए जब वह केस हमारे पास आएगा हम उसे मैरिट पर डिसाइड कर देगे।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने अभी बताया कि सैन्टर में प्लानिंग कमीशन के पास सौ स्कूलों को अपग्रेड करने का केस तटका हुआ है और केन्द्र की जैसी कृपा हरियाणा सरकार के ऊपर है उसे सारे माननीय सदस्य जानते हैं? मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में अन्तिम पल व्यवहार कब हुआ?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, दरअसल इन्होंने सारी बात सुनी नही। इसमें लटका कुछ नही है बल्कि इसका तो फैसला हो चुका है। वह फैसला प्लानिंग कमिशन के सामने हो चुका है। प्लानिंग कमिशन के पास जाने के बाद प्लान फाइनल होता है, उसमें ये तमाम चीजें ड्रौप हो चुकी हैं।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार अपना केस दोबारा भेजेगी?

श्री खुरशीद अहमदः दोबारा तो तब भेजा जाएगा जब अगला प्लान जाएगा।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 10 जमा 2 स्कूल का अपग्रेडेशन का क्या क्राइटेरिया है? जो संस्था इसको पूरा कर दे ती है क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि वहां पर उसे अपग्रेड कर दिया जाएगा?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, 10 जमा 2 स्कूल शुरू करने के लिए तकरीबन पांच लाख रुपए का खर्चा आता है। जैसे लैबोरेटरी, लाइब्रेरी की ग्रांट साईस मैटिरियल, स्पोर्टस मैटिरियल, फर्नीचर ज्या स्टुडैटंस के लिए एडीशनल स्टाफ जैसे लेक्चररज और प्रिंसिपल की पोस्टें और कुछ कमरे आदि बनाने पर पांच लाख रुपया खर्च आ जाता है। इनमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जैसे कमरे वगैरह हैं, जिन पर एक बार ही खर्च करना पड़ता है लेकिन जो रैकरिंग ऐक्सपैंसिज हैं वे भी काफी होते हैं।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, यह तो माना कि नए स्कूल खोलने के लिए बजट में प्रोविजन नही है लेकिन क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जो स्कूल खुले हुए हैं, मिडल, हाई या

10 जमा 2 उनमें पूरे टीचर्ज और प्रिंसिपल की पोस्टों को कब तक भरने का प्रयास करेंगे?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, प्रयास तो हम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें लोग मिलते जा रहे हैं हम भरते जा रहे हैं।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, मे री एक वात का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि जो संस्था क्राइटेरिया पूरा कर देगी क्या उसको अपग्रेड करेंगे?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब अपग्रेडेशन के बारे में मैं पहले जवाब दे चुका हूं कि इस साल इसके लिए कोई प्रोवीजन नहीं है।

Village link roads in Salhawas Constituency

***135. Rao Ram Narain :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct any of the following link roads in Salhawas Constituency of district Rohtak between :—

(i) village Nathera and Railway Station Kosli;

(ii) village Tumna and Shyam Nagar;

(iii) village Bhurthla and village Shyam Nagar;

(iv) village Bishowa and village Gadi;

(v) village Mumtazpur and village Gadi;

(vi) village Mumtazpur and village Khursheed Nagar;

(vii) village Shadat Nagar and village Jhal, and

(viii) village Bhakli and village Kosli Tehsil; and

(b) if so, the time by which the above said road is/are likely to be constructed ?

Public Works Minister (Sh. Om Parkash Bhardwaj) :

(a) Only the road at Sr. No. (iv) of the question i.e. road from Bishowa to village Gadi is under construction in Salhawas Constituency of District Rohtak. There is no proposal to construct the remaining roads at present.

(b) The road from Bishowa to Gadi is likely to be completed during the year 1988-89 if enough funds are available.

राव राम नारायणः क्या मन्त्री महोदय बतायेगे कि इन रिमेनिग 7 विलेजिज मे कब तक सड़कें बना देंगे? क्या इसके लिये कोई टाईम लिमिट मुकरर्र करेंगे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, इन 7 विलेज रोड्ज के बारे में अभी तो कोई प्रोपोजल नहीं है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने जितने भी इस बजट सैशन से शुरू होने से अब तक जवाब दिये हैं, हर सवाल के जवाब में यही जवाब दिया है कि पर्याप्त धनराशि अवेलेबल होने पर यह काम कर दिया जायेगा। स्पीकर साहब, मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि इस बजट ईयर के लिये इनको कितनी धनराशि मिली है और उससे यह क्या–क्या काम करने जा रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, मेरे साथी मदान जी ने यह पूछा है कि कितनी धन राशि मिली है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इस साल के बजट के बारे में उनको मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि इस साल का जो बजट हमें मिला है, उसके अनुसार हर कांस्टीचुऐंसी में लगभग 4 लाख से लेकर 6 लाख तक का हिस्सा नई सड्कों के लिए मिलेगा। जहां पर यह चाहेंगे, वहां पर हम उस पैसे को खर्च कर देंगे।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जन सुविधा को देखते हुए यातायात की दृष्टि से हर गांव को सड़क से जोड़ा गया हे। कई गांवों में कुछ धार्मिक जगहें कुछ दूरी पर हें। वहां पर साल भर हजारों लाखों लोग धार्मिक भावना से आते जाते हैं? वहां पर सड़कें नहीं हैं। क्या ऐसी जगहों को सड़क से जोड़े. जाने की प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जहां पर भी कोई धार्मिक स्थान है, और अगर वह गांव के बाहर है, जहां तक हमारा बजट अलाऊ करेगा, हम जरूर उसको सड़क से जोड़ने में प्रायरिटी देंगे।

श्री नर सिंह ढांडाः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने जो भी सड्कों के बारे में सवालों के जवाब दिये हैं उनमें उन्होंने तीन शव्द खास तौर पर कहे हैं। एक बात तो उन्होंने यह कही है कि डायरैक्टरी विलेजिज और दूसरे कहते हैं ऐलीजिबल विलेजिज और तीसरे कहते हैं ऐडीक्वेट फंडज। मन्त्री महोदय क्या सदस्यों को यह लिख कर भेज देंगे कि कौन–कौन से गांवों को यह डायरैक्टरी विलेजिज मानते हैं छोर कौन–कौन से गांवों को यह ऐलीजिबल विलेजिज मानते हैं। क्या मन्त्री जी यह लिखकर भेजेगे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः ये जितने भी गांवों की लिस्ट चाहेंगे, वह हम दे देंगे।

श्री नर सिंह ढांडाः मैंने गांवों की लिस्ट नही मांगी, मैंने डायरैक्टरी विलेजिज कहें हैं।

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः डायरैक्टरी विलेजिज की लिस्ट भी हम दे देंगे।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, 40 साल की आजादी के बाद भी हम रिमोट एरियाज में सड़कें नहीं दे पाये हैं, यह बड़े ही

अफसोस की बात है। क्या मन्त्री जी खादर के उस एरिया में जो जमुना के साथ साथ लगता है, गांवों में सड़क की सुविधा देने के लिये सिंगल लिंक रोड बनाने का कष्ट करेंगे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, हमारी सरकार की यह काफी कोशिश रहेगी कि सैवन्थ फाईव ईयर प्लान में हम हरियाणा के सभी गांवों को सिंगल रोड से जोड़ देंगे।

श्री भगवान सहाय रावतः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एप्रोच रोड से तो बहुत से गांव जोड़े जायेंगे लेकिन जिन स्कूलों तक अभी तक लिंक रोडज नहीं बनी हुई हैं, क्या उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे?

Shri Om Parkash Bhardwaj : It will depend on the availability of funds.

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मैं भी मन्त्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी मन्त्री महोदय ने 2– 4 मिनट पहले अपने जवाब में यह बताया है कि इस साल के बजट से हरेक कांस्टिचुऐंसी के हिस्से 4 से 6 लाख रुपए आएंगे शर जहां पर एम० एल० ए० या विधायक चाहेगा, वहां पर वह खर्च कर देंगे। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि 4 से 6 लाख रुपये हर कास्टिचुऐंसी में रिपेयर के लिये खर्च किये जायेंगे या वह नयी सड़कें बनाने के लिये खर्च होंगे या दोनों कामों के लिये खर्च होंगे? अगर ऐसी बात है तो दोनों कामों के लिये कितना

कितना पैसा खर्च होगा यानी नयी सड़कें बनाने पर कितना और रिपेयर करने पर कितना पैसा खर्च होगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, माननीय साथी ने एक बार में कई सप्लीमैंट्रीज पुट कर दिये हैं। जो इस साल का बजट प्रोवीजन है, उसके मुताबिक मैंने यह जानकारी दी है कि 4 से 6 लाख रुपये हर कांस्टिचुऐंसी में नई सड्कों के लिये अवेलेबल होगा। अगर यह नयी सड़क बनाना चाहेंगे तो उनको बना देंगे और अगर यह किसी इनकम्पलीट सड़क को पहले बनवाना चाहेंगे तो वह पूरी करवा देंगे।

श्री जगन नाथः मन्त्री महोदय एक कास्टिचुऐंसी में चार लाख रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक किलो मीटर सड़क बनाने में क्या लागत आती है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, एक किलोमीटर सड़क पर लगभग तीन लाख रुपए खर्च आते हैं। कई जगह हमें लैड का कम्पनसेशन ज्यादा देना पड़ता है और कई जगह गांव वाले हमें की लैंड दे देते हैं।

Providing special facilities in the rural areas for the Medical Staff

***141. Shri Durga Dut Attri** Will the Minister for Health and Ayurveda be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide special facilities to those officials and Officers of the Medical department as are posted in the rural areas in the State; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the time by which the said proposal is likely to mature ?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क)जी नहीं।

(ख)प्रश्न नहीं उठता।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की कितनी डिस्पैन्सरीज और अस्पतालों में डाक्टर्ज के स्थान रिक्त पड़े हैं और इसका क्या कारण है?

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, इस वक्त हरियाणा में रूरल डिस्पैन्सरीज जिनको अपग्रेड करके प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बनाया गया है और जहां डाक्टर्ज नहीं हें वे 34 हैं। स्पीकर साहब, बहुत बार डाक्टर्ज के इन्टरव्यू लिए गए हैं लेकिन वे ज्वायन नहीं करते। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं यह भी बताने के लिए तैयार हूं कि पिछले साले कितने इन्टरव्यू हमने लिए हैं। स्पीकर साहब, जो डाक्टर्ज इंटीरियर के गांवों मे जाते हैं वे कोई न कोई सिफारिश लगाकर नजदीक के शहरों में आना चाहते हैं जिससे हमारी गांवों की डिस्पैन्सरीज डाक्टर्ज के बिना खाली रहती हैं।

फिर भी हम यत्न करते हैं कि जिस केन्द्र में पांच डाक्टर्ज हैं वहां से दो या एक रिक्त स्थानों पर भेज कर केन्द्रों को रिक्त न रहने दें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अभी मन्त्री महोदया ने बताया है कि जिन डाक्टर्ज को हम गांवों में भेजते हैं वे कोई न कोई सिफारिश लगाकर शहर में आना चाहते हैं। स्पीकर साहब, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जिन डाक्टर्ज को गांवों में भेजा जाता है वहां उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती और जब डाक्टर्ज के रहने की व्यवस्था न हो तो स्वाभाविक है कि वह वहां जाने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर वह डाक्टर शहर से जाएगा तो एक घंटा देर से वहां पहुंचेगा और एक घंटा पहले वहां से चल देगा। क्या मन्त्री महोदया इस बात पर दुबारा विचार करेंगी कि जो लोग जनसेवा करते हैं और जहां पर सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है वहां उन डाक्टर्ज की रिहाइश का कोई इन्तजाम किया जाए जिससे वे लोग जनसेवा अच्छी प्रकार कर सकें और सरकार ने जो लाखों करोड़ों रुपया इन डिस्पैन्सरीज पर खर्च किया हुआ है उसका सदोपयोग हो सके?

श्री अध्यक्षः महेन्द्र प्रताप जी आप बहुत लम्बा सवाल करते हैं। सवाल छोटा होना चाहिए।

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, 1977 में जब चौधरी देवी लाल जी मुख्य मन्त्री बने थे उस समय हमने निर्णय लिया था

कि कोई नई पी० एच० सी० या हस्पताल तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि डाक्टर्ज के लिए रिहायशी मकान न बन जाएं। आज भी जब कोई नई पी० एच० सी० बनाते हैं तो पहले डाक्टर्ज के लिए मकान बनाते हैं लेकिन जो पुरानी हैं वहां पर अभी दिक्कत हे। स्पीकर साहब, हम वहां पर भी उन डाक्टर्ज को दस परसैन्ट या जो भी? रेट है उस हिसाब से किराया देते हैं। हमने यह निर्णय किया हुआ है कि जहां कहीं पी० एच० सी० या हस्पताल नया बनेगा वहां पर पहले रिहायशी स्थान बनाए जाएंगे और बाद में हस्पताल की बिल्डिग बनाई जाएगी और जिन पुराने पी० एच० सी० में मकान नहीं हैं वहां बनवाए जा रहे हैं।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदया ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर्ज को कोई विशेष सुविधा देने का विचार नहीं है और डाक्टर वहां इसलिए नहीं रुकते कि कुछ जगहों पर उनकी रिहायश का प्रबन्ध नहीं है और वे डाक्टर्ज शहर में आ जाते हैं। क्या मन्त्रों महोदया इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए देहाती क्षेत्रों में डाक्टर्ज को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के बारे में पुनर्विचार करेंगी?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, ग्रामीण क्षेत्र में पी०एच०सी० या हस्पताल में काम करने वाले हर डाक्टर को एक सौ पचास रुपए रूरल अलाउंस दिया जाता है। यह सुविधा एक इंसैन्टिव है। स्पीकर साहब, सरकार का नियम है कि जो डाक्टर ज्वायन करता है उसका प्रोबेशन पीरियड दो वर्ष का होता है

लेकिन दक्षता– रोध पार करने के लिए उसे एक साल रूरल एरिया में काम करना पड़ता है। तीसरी फैसीलिटी हम यह देते हैं कि जो डाक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है उसके लिए तीन वर्ष की रूरल सर्विस आवश्यक है। अगर कोई डाक्टर तीन वर्ष ग्रामीण सेवा कर लेता है तो उसको सरकार अपने खर्चे पर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए विद पे रोहतक कालिज में भेज देती है। पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स 2 वर्ष का होता है और उन डाक्टर्ज को पूरा वेतन दिया जाता है। ये विशेष सुविधाएं हम उन डाक्टर्ज को देते हैं जो रूरल एरियाज में काम करते हैं। अगर माननीय सदस्य कोई और सुझाव देंगे तो हम उन पर भी विचार कर लेगे।

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या डाक्टर्ज को जो रूरल अलाऊंस मिलता है उसको ज्यादा किया जाएगा? दूसरे जो डाक्टर्ज को अपनी सर्विस में रहते हुए कम से कम तीन सालों तक रूरल एरिया में काम करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है क्या इस अवधि की बजाए उस डाक्टर की होल सर्विस का आधा समय गांवों में सर्विस करवाने का सरकार का विचार है क्योंकि तीन साल की अवधि गांव में काम करने के लिए बहुत थोड़ी हे?

श्रीमती कमला वर्माः अभी ऐसा कोई विचार नही है।

डा० बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, अभी बहन जी ने बताया कि जो डाक्टर्ज देहातों में काम करते हैं उनको विशेष सुविधाएं दे रहे है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि विशेष सुविधाएं कौन कौन सी हैं और साधारण सुविधाएं कौन कौन सी हैं? क्या सरकार प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डाक्टरों के लिए भी इस तरह की विशेष सुविधाएं देने का विचार रखती है? क्या उनको भी इस तरह का कोई अलाऊंस दिया जाएगा? क्या कोई ए० सी० या टी० वी० वगैरह की सुविधाएं भी देने का विचार हे?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने विशेष सुविधाओं के बारे में पूछा है, वे हम दे रहे हैं। जो डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं उनको हम की एकमोडेशन देते हैं और रूरल अलाऊंस भी देते हैं। जहां तक टी० वी० व ए० सी० वगैरह की सुविधाओं का संबंध है वह तो डाक्टर स्वयं ही ले सकते हैं। हम तो इस पर विचार नहीं कर सकते। जहां तक एन० पी० ए० का संबंध है इस पर तो विचार करने वाली बात है क्योकि हमारी यह इच्छा है कि गांव के अन्दर काम करने वाले डाक्टरों के लिए हम हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें ताकि वे दिल लगाकर वहां पर लोगों की सेवा कर सकें। एन० पी० ए० के विषय में शीघ्र ही मुख्यमन्त्री जी के साथ बैठकर कोई नीति निर्धारित करने का प्रयास करूंगी।

चौधरी जय नारायण खुडिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन जी से यह कहना चाहता हूं कि मेरे कलानौर हल्के में एक गांव काहनोंर के अन्दर प्राईमरी हैल्थ सैन्टर चल रहा था और पिछली सरकार ने उसे तोड़ दिया हालांकि वहां पर डाक्टर वगैरा के रहने की जगह भी उपलब्ध थी और उस गांव की आबादी भी लगभग 20 से 25 हजार तक है। उस डिस्पैन्सरी के चालू न रहने के कारण लोग काफी दिक्कत में हैं। क्या मन्त्री महोदया दोबारा प्राईमरी हैल्थ सैन्टर को चालू करवाने का प्रयत्न करेंगी ताकि लोगों की दिक्कतों को दूर किया जा सके?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए माननीय सदस्य यदि अलग से नोटिस दें तो पूरी बात बता पाऊंगी। यदि वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है और पहले स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा था तो इस पर पुनः परीक्षण करवा कर अवश्य ध्यान दिया जा सकता है।

श्री देवी दास: अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदया ने कहा कि जो डाक्टर गांव में रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं वे एम० एल० एज० की सिफारिश करवा करके फिर शहरों की ओर आ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार होम डिस्ट्रिक्ट की पाबन्दी डाक्टरों के ऊपर से हटा ले तो डाक्टर्ज अपने जिले के देहातों में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और आगे से एम० एल० एज० द्वारा किसी प्रकार की सिफारिशें भी नहीं करवाएंगे। क्या

सरकार ऐसा करने का विचार रखती है और इस तरह की रिलैक्सेशन सरकार देगी?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे जिले हैं जैसे कि सिरसा और महेन्द्रगढ़ वगैरह जहां डाक्टर्ज की कमी रहती है। वहां के लिए गृह जिले में रिलैक्सेशन की बात पर विचार कर रहे हैं।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने अभी यह कहा है कि डाक्टर्ज देहातों में जाने के लिए तैयार नही हैं जब कि वहां लोगों को इलाज व दवाईयों की सब से ज्यादा जरूरत होती है। गांव में और कोई सुविधाएं भी लोगों को उपलब्ध नहीं होती। मेरा कहना है कि अगर सरकार कोई इस तरह के सख्त कानून बना दे कि हर डाक्टर को अपने सेवा काल में कुछ समय के लिए देहातों में अवश्य रहना होगा तो शायद गांव से शहरों की ओर दौड़ने की डाक्टरों की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी और इससे देहात में रहने वालों को भी काफी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। क्या सरकार इस पर विचार करेगी।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, रोहतक मैडीकल कालेज से हर साल 120 डाक्टर्ज पास होकर निकलते हैं और चूंकि हम सबको नौकरी नही दे सकते इसलिए बौंड नहीं भरवा सकते। प्रारम्भ मैं यह प्रयास किया था परन्तु वह सफल नहीं हो

पाया। इसलिए इस तरह की कोई पाबन्दी हम उन पर नहीं लगा सकते।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, अभी मन्त्री महोदया ने बताया कि जिन गांवों में बिल्डिग बना कर दी जाती है उन गांवों में पी० एच० सी० खोलने के बारे मे विचार करेंगे। मैंने मन्त्री महोदया को अपने हल्के के गांव गोतबलावत में बिल्डिग दिखाई थी और वहां पर स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टर्ज भी दिखाए थे उस गांव में बिल्डिग तैयार है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस गांव में पी० एच० सी० खोलने के बारे में इस सैशन में या अगले सैशन तक विचार करेगी?

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, भवन मैं स्वयं देखने गई थी, बिल्डिग अच्छी है। वित्तीय स्थिति में सुधार होते हो जरूर विचार किया जाएगा।

Constitution of Haryana Nursing Registration Council

***202. Shri Raghu Yadav :** Will th Minister for Health be pleased to state—

(a) whether any election to the Haryana Nursing Registration Council was held on 19-5-1982 ; if so, the number of members elected; and .

(b) whether it is a fact that the said Council has not so far been constituted; if so, the reasons therefor, and

the time by which it is likely to be constituted ?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क)जी हां, चार सदस्य चुने गए थे।

(ख)जी नहीं, कौंसिल का गठन दिनांक 18– 12– 1987 को किया जा चुका है।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल का चुनाव 19–5–82 को हो गया था। मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इसका गठन होने में साढे पांच साल का विलम्ब क्यों हुआ? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अब इस कौंसिल के गठन के बाद इसके सदस्य कौन हैं और इसकी गतिविधियां क्या हैं?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, 1982 में दूसरी सरकार थी और अब 1987 में हमारी अपनी सरकार आई है। अब हमने इस कौंसिल का गठन कर दिया है।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, सरकारें तो बदलती रहती हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार बदलने की बात कह कर इस कौंसिल के गठन में विलम्ब के कारणों को छुपाया जाना उचित नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके गठन में साढ़े पांच साल का विलम्ब किन कारणों से हुआ?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, पिछली सरकार की गलतियों की जिम्मेदारी मैं नहीं लेती।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, सवाल जिम्मेदारी का. नहीं, कारणों का सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने इसलिए गठन नहीं किया क्योंकि वे लोग प्रजातांत्रिक प्रणाली में यकीन नही करते थे। वे यहां से चले गए लेकिन उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव नहीं करवाए। म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव भी इस सरकार ने ही करवाए हैं। उस सरकार के तौर तरीके ऐसे ही थे।

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, वैसे भी इस कौंसिल के पांच साल के बाद ही चुनाव कराए जाते हैं। हरियाणा नर्सिग रजिस्ट्रेशन कौंसिल परीक्षा पेपर तैयार करती है और वही एम० पी० डब्ल्यू०, नर्सिग और ए० एन० एम० के ऐग्जाम लेती है।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इस कौसिल का गठन कैसे किया जाता है और इसके सदस्यों के क्या–क्या नाम हैं?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, इसके चार मैम्बर चुने जाते हैं और आठ मैम्बर नौमिनेट किए जाते हैं। मैं उनके नाम भी बता देती हूं। 18 दिसम्बर, 1987 को इस कौसिल का पुनर्गठन किया गया है। जो मैम्बर्ज नौमिनेटिड हैं, उनके नाम डस प्रकार हैं। डायरेक्टर, हैल्थ सर्विसिज, हरियाणा, असिस्टैट

डायरेक्टर, नर्सिंग, डायरेक्टोरेट आफ हैल्थ सर्विसिज, हरियाणा, श्रीमती डी० मेहतानी, मैट्रन, श्रीमती एस० डी० छिबड, नर्सिंग सुप्रिन्टैडैट, श्रीमती एस० ई० हेमराज, श्रीमती एम० स्टीफन, श्रीमती जैड० आई० मसीह, मैट्रन, श्रीमती मनीर गुजराल, डायरेक्टर पब्लिक हैल्थ नर्स, श्रीमती तारा रानी सिंह, मैट्रन। ये नोमिनेटिड हैं और श्रीमती कंवलजीत लेडी हैल्थ विजिटर, श्रीमती गुरचरण कौर कटारिया, श्रीमती सुरिन्दर नरूला, सिस्टर टयूटर और श्रीमती कविता मल्होत्ना इलैक्टिड हैं। कौंसिल के सदस्य इन चार सदस्यों का चुनाव करते हैं।

I.T.I., Tohana

***206. Comrade Harpal Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state--

(a) whether it is a fact that the I.T.I., Tohana is functioning in a privately rented building at present; and

(b) if so, the steps, if any, taken- or proposed to be taken by the Government to provide a Government building, with a suitable playground therefor ?

Industries Minister (Dr. Kirpa Rain Punia) :

(a) Yes, Sir.

(b) Efforts are being made to purchage the land measuring approximately 8 acres from Haryana Urban Development Authority.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि टोहाना के अन्दर आई० टी०आई० कब तक चालू कर दियार जाएगा?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, यह मैंने पहले ही बता दिया है कि टोहाना में आई० टी० आई० चालू है। माननीय सदस्य का दूसरा सवाल यह था कि वहां पर आई० टी० आई० के लिए बिल्डिग कंब तक बन जाएगी? मैं आनरेबल मैम्बर को बताना चाहूंगा कि वहां पर आई० टी०आई० की बिल्डिग बनाने के लिए 8 एकड़ जमीन हुड्डा से लेने के लिए कार्यवाही चल रही है ज्यों ही जमीन मिल जाएगी बिल्डिग बनाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उस बिल्डिग को बनाने के लिए अगले साल में 15 लाख रुपए का प्रोविजन रखा है।

10.00 बजे

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद में दो साल से आई० टी०आई० सैक्शन्ड है। वहां पर पुरानी तहसील की बिल्डिग खाली है। क्या इस बिल्डिग में क्लासिज चालू किए जाने का विचार है। दूसरे मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि फतेहाबाद में कब से आई०टी०आई० की क्लासिज लगानी शुरू कर दी जायेगी?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, यह सवाल टोहाना से संबंधित है। फतेहाबाद के लिए अलग से नोटिस दें, जवाब दे दिया जाएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 287

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री मंगल सैन, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Sub-depot of Haryana Roadways at Hodel

***384. Shri Udai Shan :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a sub-depot of Haryana Roadways at Hodel; and

(b) if so, the time by which the aforesaid depot is likely to be opened ?

राज्य परिवहन मन्त्री (श्री धर्मबीर सिंह):

(क)जी हां।

(ख)आगामी वित्त वर्ष में, यदि पर्याप्त राशि उपलब्ध हागी।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां के लिए सब डिपो कब स्वीकृत हुआ था?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, शायद मैं इनकी बात ध्यान से नहीं सुन पाया या ये अपनी बात ठीक प्रकार से नहीं कह पाए। मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि होडल में सब डिपो खोलने की प्रपोजल पहले से ही बनी हुई है।

श्री उदय भानः क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर यह सब डिपो खोलने की प्रपोजल कब बनी थी?

श्री धर्मवीर सिंहः यह पिछली सरकार के समय में प्रपोजल बनी थी। हमारी कोशिश होगी कि इस साल वहां पर काम चालू हो जाए।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब में हमें आशान्वित तो कर दिया है कि वहां पर सब–डिपो इस साल में खोलने का विचार है। में मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर सब–डिपो खोलने के लिए कितनी अनुमानित राशि रखी गई है? दूसरे कितना एडीशनल स्टाफ उपलब्ध करवाना होगा और यह काम कब तक हो जाएगा?

श्री धर्म बीर सिंहः अभी वहां का ऐस्टिमेट बन कर नहीं आया है। जब ऐस्टिमेट बन कर आ जाएगा तो इन्हें बता दिया जाएगा कि वहां पर इतना रुपया खर्च होना है।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी सरकार के नोटिस में ला चुका हूं और अब भी मन्त्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि ऐलनाबाद और रानिया कस्बों की आबादी 30 – 30

और 35 – 35 हजार से भी ज्यादा है। वहां पर अभी तक कोई बस स्टैण्ड नहीं बनाया गया है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या लोगों की दिक्कतो को ध्यान में रखते हुए वहां पर कोई डिपो नहीं, तो कोई बस स्टैण्ड वगैरह बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, इन्होने अपनी समस्या के बारे में मुझे पहले भी बताया था। हम कोशिश करेंगे कि वहां पर जल्दी ही बस स्टैण्ड बना दिया जाए।

Declaration of Sirsa District as industrially backward area

***366. Shri Hazar Chand :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Sirsa district as industrially backward area; and

(b) if so, the time by which the aforesaid area is likely to be declared so ?

Industries Minister (Dr. Kirpa Ram Punia) : (a) & (b) District Sirsa already stands declared as an industrially backward area by the Government of India.

श्री हजार चन्दः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि सिरसा में सन 1980 के अन्दर 45 एकड़ रकबा औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऐक्वायर किया गया था लेकिन सन 1985 में वह रकबा वापिस कर दिया। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब पहले वहां पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए रकबा

ऐक्वायर कर लिया था तो बाद में उसे क्यों वापस किया गया, इसके क्या कारण रहे?

डा० किरपा राम पुनियाः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय साथी ने अपने सवाल में यह पूछा था कि सिरसा जिले को कब तक बैकवर्ड जिला घोषित कर दिया जाएगा? मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि सिरसा जिला को औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से बैकवर्ड घोषित किए हुए काफी दिन हो चुके हैं। जहां तक सिरसा शहर के अन्दर इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने की बात है उसके लिए अलग से नोटिस दे, जवाब दे दिया जाएगा।

डा० बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में कौन कौन से जिले औद्योगिक दृष्टि से बैकवर्ड जिले घोषित हे?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, इससे मिलता–जुलता सवाल पहले भी आ चुका है। उस समय भी मैंने जवाब दे दिया था। आज मैं फिर बता देता हूं कि दो तरह के एरियाज औद्योगिक दष्टि से बैकवर्ड घोषित किए जाते हैं। एक तो गवर्नमैंट आफ इण्डिया डिल्लेयर करती है और दूसरे स्टेट गवर्नमैंट डिक्लेयर करती है। जो सेन्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से औद्योगिक दष्टि से बैकवर्ड जिले हैं वे हैं, भिवानी, हिसार, सिरसा, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी ब्लाक के एरिया को छोड कर और जीन्द जिला राजौन्द ब्लाक के एरिया को छोड़ कर। जो स्टेट गवर्नमैंट की

तरफ से औद्योगिक पिछड़े क्षेत्र घोषित हैं वे हैं जिला गुडगावां के नूह, पुनहाना, फिरोजपुर झिरका, तावडू ब्लाक, जिला फरीदाबाद का हथीन ब्लाक, जिला अम्बाला की कालका, नारायणगढ़ तथा अम्बाला तहसील, जिला रोहतक की नाहर, झज्जर, मेहम तथा रोहतक तहसील और जिला सोनीपत की गोहाना तहसील।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब सिरसा जिला बैकवर्ड जिला है और इंडस्ट्री के लिहाज से सब से ज्यादा हरियाणा में बैकवर्ड है। जब किसी जिले को बैकवर्ड डिक्लेअर किया जाता है तो उसे सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं आपके जरिए मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सिरसा में कोई गवर्नमैंट अन्डरटेकिंग या गवर्नमैंट की इंडस्ट्री लगायी जा रही हे, अगर नहीं लगायी जा रही तो जो आलरेड्डी लगी हुई हैं उनकी ऐक्सपैन्शन का विचार है?

डा० किरपा राम पुनियाः किसी एरिया को बैकवर्ड एरिया इसलिये डिक्लेअर किया जाता है ताकि वहां पर इंडस्ट्री डिवैल्प हो। उसके लिए काफी सारे कसैशन देते है जिसमें कैपिटल इनवैस्टमैंट पर दस परसैन्ट सबसिडी देना एक है। सिरसा को गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया घोषित किया था। इसलिए वहां पर दस परसैन्ट सबसिडी देते हैं और दूसरे कसैशन भी देते हैं। वहां पर हरियाणा सरकार का कोई नया यूनिट लगाने का अभी विचार नहीं है।

श्री जगपाल सिंहः चौधरी स्पीकर साहब नारायणगढ़ को स्टेट गवर्नमैंट ने इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड घोषित किया हुआ है और दूसरे एरिया भी किए हुए हैं। थे आपके जरिए मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो आलरेडी बैकवर्ड घोषित किए हुए हैं क्या उनमें इंडस्ट्री की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे?

डा० किरपा राम पुनियाः हम नारायणगढ़ में इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं लेकिन माननीय सदस्य एन्टरप्रिन्योरज को तैयार कर लें।

श्री हरनाम सिंहः क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि किसी. क्षेत्र को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेअर करने का क्या क्राइटेरिया है?

डा० किरपा राम पुनियाः इस बारे में हाउस को बताना चाहूंगा कि गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया घोषित करने का जो क्राइटेरिया लें–डाउन किया है वह इस प्रकार है

1. District/Area should be outsideA radius ofAbout 50 miles from the cities of Large Industrial project.

2. Poverty of the peopleAs indicated below per capita income starting from the lowest to 25% below the StateAverage.

3. High density of population in relation to utilisation of production resourcesAnd employment

opportunityAs indicated by :

(a) Low percentage of factory employment (25% below the StateAverage).

(b) Low percentage of population engaged in secondary
and tertiaryActivities (25% below the StateAverage).

(c) No. of under utilisation of economicAnd natural resources like mineral & forests etc.

4. AdequateAvailability of Electric power or likelihood or itsAvailability within 1-2 years.

5. Availability of transportAnd communication facilities or likelihood of theirAvailability within 1-2 years.

6. AdequateAvailability of water or likelihood of itsAvailability within 1-2 years.

ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिएं अदरवाइज इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। यह क्राइटेरिया लेड–डाउन है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा भी कुछ क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित किए गए हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार समय–समय पर इनका मूल्यांकन कर अथवा विकास को ध्यान में रखते हुए अविकसित रह गए क्षेत्रों को बैकवर्ड डिक्लेयर करने के लिए कोई पग उठाती है? क्या भविष्य में उनकी डिवैल्पमैंट की आशा की जा सकती है? जैसे कि हथीन क्षेत्र का

कोई विकास नहीं हुआ। क्या इसको पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करेंगे?

डा० किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को ध्यान से सुना ही नहीं। हरियाणा सरकार द्वारा जो एरिया बैक– वर्ड घोषित किया हुआ है उस एरिये में हथीन एरिया भी शामिल है। उसे राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया हुआ है।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक से जी०टी० रोड के दक्षिण में जो हिस्सा है, अब तक सारे के सारे चीफ मिनिस्टर उस हिस्से से ही बने हैं और उत्तर से अभी तक कोई भी चीफ मिनिस्टर बना नहीं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उत्तर के इस एरिया को इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया घोषित करने की कृपा करेंगे?

डा० किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का क्राईटेरिया अलग से बनाना पड़ेगा। श्री जगननाथ जी से मिलकर मैं इस बारे में विचार कर लूंगा (हंसी)

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हू कि भारत सरकार की तरफ से जो बैकवर्ड एरिया घोषित किए गए हैं और हरियाणा सरकार की तरफ से जो बैकवर्ड एरिया घोषित किए गए हैं, इन में क्या अन्तर है? मन्त्री महोदय ने बताया कि भारत सरकार जिस क्षेत्र को

बैकवर्ड घोषित करती है, उसमें दस प्रतिशत सबसिडी देती है। मैं मन्डी महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार जिस क्षेत्र को बैकवर्ड डिक्लेअर करती है उसमें कितने प्रतिशत सबसिडी देती है?

डा० किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने बैकवर्ड एरिया डिक्लेअर करने के लिए ए, बी तथा सी तीन जोन बना रखे हैं। हरियाणा के अन्दर ए कैटेगरी का कोई एरिया नहीं आता। ए कैटेगरी में हिली एरिया को शामिल किया जाता है और इस एरिया में पच्चीस प्रतिशत सबसिडी दी जाती है। बी जोन में जो एरिया बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाता है उसमें पन्द्रह प्रतिशत सबसिडी दी जाती हे। हमारा सिरसा एरिया सी जोन में आता है और इसमें दस प्रतिशत सबसिडी दी जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा जिस क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाता है उसमें हरियाणा सरकार पन्द्रह प्रतिशत सबसिडी देती है।

श्री जय नारायण खुडिया: अध्यक्ष महोदय, जिला रोहतक में झज्जर तथा मेहम को ही औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहुंगा कि पिछली सरकार ने चूंकि इस जिला को इग्नोर किया हुआ था, इसलिए क्या इस जिले के बाकी हिस्से को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करेंगे?

डा० किरपा राम पुनियाः अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग आती है वैसे वैसे ही उस पर विचार कर लिया जाता है। पिछले एक सवाल के जवाब मे भी माननीय सदस्य ने यही सवाल पूछा था। माननीय सदस्य कलानौर या जो भो एरिया पिछड़ा हुआ घोषित करवाना चाहते हैं, उस बारे में यदि लिख कर दे दें तो इस बारे विचार कर लिया जाएगा।

श्री दुर्गा दत्त अत्री : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अभी बताया था कि जिला जीन्द में राजौन्द ब्लाक को छोड्कर सारे जिले को इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया घोषित किया हुआ है। मैं मन्त्रो महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या राजौन्द ब्लाक को भी इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया घोषित करने की कृपा करेंगे?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, यह फैसला बहुत पुराना किया हुआ है। इस बारे में हम स्टडी करके दोबारा क्राइटेरिया तय कर लेंगे और फिर इस बारे में विचार कर लिया जाएगा।

चौधरी किशन चन्द सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों को भारत सरकार ने इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया घोषित नहीं किया है उन क्षेत्रों को भारत सरकार से औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करवाने के लिए राज्य सरकार क्या पग उठा रही है?

डा० किरपा राम पुनियाः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ववतन–फवक्तन इस प्रकार के मामलों को टेक अप करते रहते हैं लेकिन ऐप्रोप्रियेट टाईम पर इस मामले को भी टेकअप कर लेंगे क्योंकि गवर्नमैंट आफ इण्डिया इस प्रकार के मामलों को बार–बार एण्टरटेन नहीं करती। फिर भी स्टेट गवर्नमैंट जिन क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित करती है, उन क्षेत्रों में पन्द्रह प्रतिशत सबसिडी मिलती है और सभी फैसिलिटीज इसमें शामिल हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। गोहाना अब औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित हो चुका है। माननीय सदस्य इस एरिया में जितने भी इण्ड– स्ट्रियल यूनिटस सैट–अप करवाना चाहें करवा लें। ये चाहें तो सारे एरिया को डिवैल्प करवाएं। उसके लिए इन्हें पूरी फैसिलिटीज मिलेगी।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जिले में मेरा क्षेत्र हसनपुर सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां किसी तरह की औद्योगिक इकाई नहीं है। क्या उस क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करेंगे?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य अलग से लिख कर दे दें, ऐग्जामिन करवा लेंगे।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पिछले रिजीम में कुरुक्षेव जिले की रादौर उप–तहसील को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र

घोषित किया गया था? अगर इसका उत्तर हां में है तो उसका फैसला कब से लागू किया जाएगा? अगर उत्तर न में हैं तो क्या उसका सर्वेक्षण करवा कर उसे बैकवर्ड घोषित किया जाएगा?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इसका उत्तर न में है और इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हू कि स्टेट गवर्नमैंट ने जो एरियाज इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित किए हुए हैं क्या उनकी डिवैल्पमैंट करने के लिए कोई स्पैशल टाइम बाउंड प्रोग्राम है या वे केवल कागजों पर ही बैकवर्ड लिखे हुए रहेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनकी डिवैल्पमैंट का इन्होंने ठीक प्रोग्राम क्या बनाया है?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, वैसे तो बैकवर्ड एरिया इसलिए डिकलेयर किया जाता है कि वहां पर एन्टरप्रिन्योर्ज आने के लिए अट्रैक्ट हों और उनको सरकार की तरफ से फैसिलिटी दी जाए। इस बारे में कोई टाईम बाउंड प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता। वैसे मैं इनको निवेदन करुंगा कि ये सीटू को थोड़ा काबू में रखें क्योंकि जो इंडस्ट्रियल यूनिटस पहले से लगी हुई हैं वह भी इनसे डर कर भागने की कोशिश कर रहे हैं।

Employees Working in Ground water Cell

***497 Shri Kailash Chand Sharma :** Will the Minister of State forAgriculture be pleased to state

(a) the total strength of employees working in Ground Water Cells functioning in FaridabadAnd Sonipat districts;

(b) whether there isAny scheme under consideration of the Government to close the said cells;And

(c) if so, the total saving likely to beAccrued therefrom ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह):

(क) इस समय कोई नहीं। अब फरीदाबाद तथा सोनीपत जिले क्रमशः गुड़गांव तथा रोहतक जिलों के तहत आते हैं।

(ख) फरीदाबाद तथा सोनीपत जिलों में कार्यरत यूनिटों को 1–3– 1988 से योजना आयोग द्वारा वर्ष 1988–89 की वित्तीय व्यवस्था कम कर देने के कारण बन्द कर दिया गया है। फिर भी मामले में पुनः विचार किया जा रहा बै।

(ग) 9,60,145.00 रुपए।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मन्दी जी से जानना चाहूंगा कि इस विभाग के कार्यालय प्रदेश के और कितने जिलों में हैं और जो दो कार्यालय 1–3–88 से बन्द किए गए हैं इनके अतिरिक्त किसी और जिले में भी बन्द किए है, अगर हां तो क्यों बन्द किए हें?

श्री बलबीर सिंहः स्पीकर साहब, सारे हरियाणा में ऐसे 12 कार्यालय थे इनमें से दस अभी चल रहे हैं और केवल दो कार्यालयों को फरीदाबाद और सोनीपत में बन्द किया गया है।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया कि सोनीपत जिले का दफ्तर बन्द किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि 1–3–88 से पहले वहां पर कितनी पोस्टें थी और कितने कर्मचारी थे?

श्री बलबीर सिंहः स्पीकर साहब, 1– 3– 88 से पहले सोनीपत और फरीदाबाद में 18– 18 कर्मचारी थे। कुल 36 पोस्टें थीं जिनमें से पांच पोस्टें खाली थीं और 31 पर कर्मचारी काम कर रहे थे।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सोनीपत और फरीदाबाद जिलों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि वहां से दफतर बन्द कर दिए गए? क्या वहां पर खेती का काम बन्द हो गया है? या वाटर रिसोर्सिज का काम बन्द हो गया है या भूमिगत कक्ष का काम बन्द हो गया है? क्या वे इस बात का जवाब देंगे?

श्री बलबीर सिंहः स्पीकर सर, यह जो भू–जल कोष की स्कीम है, यह 1972 में बनी थी। 1980– 81 में केन्द्रीय सहायता या अनुदान से इसका विस्तार किया गया। सन 1981 में फरीदाबाद और सोनीपत को छोड़ कर 10 जिलों में इसके दफतर खोले गये।

1985 में तीन स्कीमें जो इस बारे में काम कर रही थीं, उनको इकट्ठा कर दिया गया और उसमें इन दोनों जिलों को भी शामिल किया गया। अब इस को बन्द करने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि इसका जो वार्षिक बजट था, वह 49 लाख रुपए का था। हमारी हरियाणा सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद योजना आयोग ने इस बजट को घटा कर 40 लाख रुपया कर दिया। हरियाणा सरकार ने 40 लाख रुपये देने की बजाये इस साल के बजट में इसके लिये केवल 31.39 लाख रुपया दिया है। सबसे पहला कारण तो बजट की कमी है। दूसरा कारण यह है कि फरीदाबाद और सोनीपत जिले औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर कृषि की जमीन दिन प्रति दिन कारखानों की वजह से सिकुड़ती या कम होती जा रही है। तीसरा कारण एक और है। यह जो स्कीम काम कर रही है, इसमें जल–कोष के हिसाब से तीन ब्लाक्स बने हुए हैं। हरियाणा प्रदेश को डार्क ब्लाक, ये ब्लाक और व्हाईट ब्लाक में पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बांटा हुआ है।

श्री अध्यक्षः आप तो स्पीच देने लग गये। आप शौर्ट में जवाब दीजिए।

श्री बलबीर सिंह : डार्क ब्लाक का मतलब यह है कि वह एरिया जहां पर नीचे का पानी 85 परसैन्ट ट्यूबवैल्ज के जरिये या दूसरी तरह से यूटिलाईज हो चुका है। सोनीपत और फरीदाबाद डार्क ब्लाक में नहीं आते हैं इसलिये वहां पर इस स्कीम की ज्यादा जरूरत नही रही थी।

चौधरी तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, इन्होंने अपने जवाब में यह लिखा है कि इस मामले में पुनः विचार किया जा रहा है और यहां पर सोनीपत और फरीदाबाद जिलों में बन्द करने के लिये सफाई दे रहे हैं। दोनों बातें कन्ट्राडिक्टरी हैं। जरा इस बात को साफ करें। मेरा कहना यही है कि सोनीपत और फरीदाबाद जिले में बन्द करने की बजाये यह जारी रखे जायें। क्या इसको जारी रखा जायेगा?

श्री बलबीर सिंहः स्पीकर साहब, बहुत से साथी आज से तकरीबन एक महीना पहले भी मुझे मिले थे। इसलिए फरीदाबाद और सोनीपत के साथियों को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि इस महीने के अन्त तक वहां पर पूरा दफतर फिर से खोल दिया जायेगा।

Installation of drinking water tubewells in Sadhaura Constituency

***454. Shri Bhag Mal :** Will the Minister for P.W.D. (Public Health) be pleased to state—

(a) the total number of Tubewells for drinking water installed during the years 1986-87, 1987-88 separately in Sadhaura Constituency;And

(b) whetherAny such TubewellsAre proposed to be installed in the said Constituency during the year 1988-89; if so, the numberAnd location thereof ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (थी राम बिलास शर्मा):

(क)4 नलकूप वर्ष 1986–87 तथा 9 नलकूप वर्ष 1987–88 में लगाए गए।

(ख)वर्ष 1988– 89 में एक नलकूप भट्टूवाला में लगाने का प्रस्ताव है।

श्री भाग मलः स्पीकर साहब, भट्टूवाला और उसके नजदीक के जो गांव हैं, वहां पर पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। लोग पानी के लिये तरस रहे हैं। क्या सरकार की नौलेज में यह बात है? मैं यह बात पहले भी सरकार के नौलेज में लाया था कि वहां पर पानी की बहुत कमी है। इसके लिये सरकार वहां पर क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चौधरी भाग मल जी के चुनाव क्षेत्र में 235 गांव आते है और 219 गांव ऐसे हैं जो समस्याग्रस्त गांव हैं जिनमें पानी की व्यवस्था करनी है। इनमें से 156 गांवों में 29–2–1988 तक सब जगह पर प्रायः जल की व्यवस्था कर चुके हैं। 58 गांवों की योजनाएं चल रही हैं। किसी जगह पर ट्यूबवैल लग रहे हैं, कहीं पर डिग्गी बन रही है। आने वाले साल में इन 58 गांवों में पानी दे देने। जिस पार्टीकुलर गांव की चर्चा माननीय सदस्य ने की है, वहां पर योजना चल रहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने वह योजना पानी देना शुरू कर देगी।

श्री जगपाल सिंह चौधरीः क्या यह तथ्य है कि सढौरा कांस्टिचुएंसी में भी ट्यूबवैल्ज का पानी बहुत नीचे चला गया है? बिजली की कमी की वजह से गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। बिजली की कमी को देखते हुए क्या डीजल जनरेटिंग सैट्स या डायरैक्ट पावर लाईन्ज कौम दि पावर हाउसिज देने की कृपा करेंगे ताकि उनको पानी मिलता रहे?

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, कुछ जगहों से यह शिकायत आई है। चौधरी जगपाल सिंह तो सारी बातें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जहां बहुत ऐक्यूट पोजीशन है वहां पर हम जनरेटिग सैट ले रहे है और कुछ जगहों पर बिजली की अनडिस्टर्बड लाइन का भी प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री नर सिंह ढांडाः स्पीकर साहब, पिछले दिनों हरियाणा में बहुत भारी सूखा पड़ा है और सूखा पडने के कारण गांवों में वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है जिसके कारण वाटर सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। हमारे यहां नहरों का पानी भी बहुत मुश्किल से पहुंचता है। स्पीकर साहब, आने वाले टाईम में किसान, मजदूर और दूसरे लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन सब बातों को देखते हुए सरकार के विचाराधीन कोई योजना है जिससे लोगों को कोई दिक्कत न हो?

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर साहब, श्री ढांडा ने ठीक बात कही है। इस साल शताब्दी का भयंकरतम सूखा पड़ा है और हरियाणा में इस सूखे का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। हमने इनके चुनाव क्षेत्र में कुछ गांवों का सर्वे कराया है और जो गांव पहले समस्याग्रस्त नही थे वे इस सर्वे में प्रौब्लम विलेजिज की परि–भाषा में आ गए हें और उनको सुविधा देने के बारे में विचार कर रहे

श्री नर सिंह ढांडाः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि कुछ गांवों का सर्वे कराया है। इस तरह के गांव सिर्फ पाई हल्के में ही नहीं हैं बल्कि नजदीक के क्षेत्र जैसे कैथल और दूसरी जगहों पर भी वाटर सप्लाई की पोजीशन काफी खराब हो गई है क्योंकि वहां पर पानी काफी नीचे चला गया है। ऐसी जगहों पर पानी के साथ गारा भी आ रहा है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचाराधीन कोई योजना है जिससे कि ग्रामीण लोगों को पानी मिल सके?

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर साहब, मैंने उसी का जवाब दिया था। यह जो प्रोब्लम विलेजिज हैं इनका एक बार 1965 में सर्वे हुआ था और उसके बाद 1968 में सर्वे हुआ था। लेकिन इस बार सूखे की भयंकर स्थिति के कारण कुछ जगहों से शिकायतें आ रही है और जिन गांवों की चर्चा श्री नर सिह ढांडा कर रहे हैं उनका बंदोबस्त हम कर रहे हैं। दूसरी जगहों से भी अगर शिकायतें आएंगी तो हम उनको भी देखेंगे।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, खादर की बैल्ट में जो गांव हैं उनको अब तक सरकार ने प्रौब्लम विलेजिज घोषित नही किया लेकिन इस बार सूखे के कारण जमुना कम्पलीट सूख गई और पानी साठ पैन्सठ फुट नीचे चला गया है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर भी लोगों को पानी देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय वैसे तो यह सवाल सढौरा चुनाव क्षेत्र का था लेकिन श्री महासिंह जी ने जो बात कही है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जहां जहां से इस तरह की मांग और शिकायत आती है वहां तुरन्त सर्वे करवाते हैं और अगर आवश्यक होता है तो वहां प्रबन्ध करवाते हैं।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, हल्का भिवानी तथा कुछ हिसार का क्षेत्र सदर टेल पर पड़ता है। गर्मी के दिनों में पानी टेल पर नहीं पहुंचता। क्या मन्त्री महोदय, जिन गांवों में पानी की सप्लाई ठीक नहीं है वहां पर ट्यूबवैल्ज लगाने की कृपा करेंगे? स्पीकर साहब, मेरा दूसरा सवाल यह है कि महेन्द्रगढ़ जिले में और दूसरी जगहों पर ट्यूबवैल्ज आप्रेटर लगाते हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वे सारे के सारे ऐक्सपटैं होते हैं जिनको सारी स्टेट में भेजा जा रहा है?

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, जगन नाथ जी ने कई प्रश्नं किए हैं। सबसे पहले उन्होंने भिवानी में पानी की

समस्या के बारे में कहा है और वहां पर ट्यूबवैल्ज लगाने की बात कही है। स्पीकर साहब, सब गांवों में ट्यूबवैल्ज नहीं लगाए जा सकते हैं क्योंकि एक योजना से कई गांवों को जोड़ा हुआ होता है। स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ़ और भिवानी में विशेष तौर पर वर्ष 1987–88 में 278 ट्यूबवैल्ज बोर किए गए हैं और ज्यादातर ट्यूबवैल्ज सूखाग्रस्त इलाकों में बोर किए गए हैं। दूसरी बात उन्होंने ट्यूबवैल्ज आप्रेटर्ज की कही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इनकी कोई भर्ती नहीं करते। काम के हिसाब से डेली वेजिज पर वहां के अफसर उनको रख लेते हैं।

श्री अध्यक्षः क्वैश्चन आवर समाप्त हुआ।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारॉंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Share of State in Rihand Super Thermal Power Project

***541. Shri Parma Nand :** Will the Minister for IrrigationAnd Power be pleased to state—

(a) whether the Haryana State will getAny share out of the electricity produced by Rihand Super Thermal Power Project;And

(b) if so, the details thereof ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क)हां।

(ख)उत्पादित बिजली में से लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों के बिजली के हिस्से को भारत सरकार द्वारा अभी अंतिम रूप से तय किया जाना है।

Opening ofA Government CollegeAt Ratia

***529. ShriAtma Singh Gill :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there isAny proposal under consideration of the Government to openA Government CollegeAt Ratia in District Hisar; if so, the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खुरशीद अहमद): जी, नहीं।

अतारॉंकित प्रश्न एवं उत्तर

Milk chilling plants in District Mohindergarh

71. Shri Raghu Yadav : Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) the number of milk chilling plants in district MohindergarhAt present togetherwith the places where theseAre located;

(b) the number of plants, out of thoseAs referred to in part (a)Above, whichAre either lying closed/not functioning properly;And

the steps, ifAny, taken or proposed to be taken to either revive or to make the plants,As referred to in part (b)Above, viable ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (डा० रघुवीर सिंह):

(क) दो, एक नारनौल में और एक जाटूसाना में।

(ख) दोनों ही इस समय बन्द हैं।

(ग) इनको चलाने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये थे –

(1) सरकार ने 3. 5 लाख रुपये की राशि शेयर कैपिटल के रूप में महेन्द्रगढ़ मिल्क यूनियन को दी थी जिस की हद में वे प्लान्ट आते थे। फिर यह पग केन्द्रों की हालत को सुधारने में असफल रहा।

(2) दुग्ध शीतन केन्द्र जाटूसाना को दुग्ध केन्द्र रोहतक के साथ जोड़ दिया था, जिसको रोहतक डेरी प्रौजैक्ट स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा था उन्होंने भी इस दुग्ध शीतन केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थता व्यक्त की।

पग जो इनको चलाने के लिए उठाये जायेगे–

(1) कम दूध की उपलब्धि के कारण इन शीतन केन्द्रों को चलाने हेतु अभी कोई सम्भावना नहीं है। आगामी ग्रीष्म ऋतु में यह उपलब्धि और कम होने की संभावना है क्योंकि यह दूध की उपलब्धि के लिये लीन सीजन होता णै।

(2) कुछ समय बाद इन शीतन केन्द्रों को चलाने हेतु विचार किया जायेगा, जो कि इन केन्द्रों को आत्म निर्भर बनाने हेतु दूध की मात्रा की उपलब्धि काफी होगी।

T.V. Transmission Relay Centre in District Mohindergarh

72. Shri Raghu Yadav : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government hasApproached the Central Government for gettingA T.V. Transmission Relay Centre installed in district Mohindergarh;And

(b) if so, the result thereof ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): केन्द्र सरकार की सातवीं पंचवर्षीय योजना में रिवाड़ी में लघु शक्ति परिषक यत्न लगाने का प्रावधान है तथापि नारनौल के विभिन्न संघों के प्रतिवेदन पर 31 दिसम्बर, 1986 को भारत सरकार को यह लघु शक्ति परिषक यत्न रिवाड़ी की बजाय नारनौल में लगाने का प्रस्ताव भेक गया था। इसके लिए भारत सरकार सहमत हो गई है। भारत सरकार द्वारा स्थान का चयन किया जा चुका है और 3 दिसम्बर, 1987 को उपायुक्त नारनौल को सूचित किया जा चुका है। भारत सरकार ने उपायुक्त नारनौल को बनाये जाने वाले भवन का मानचित्र भेज दिया है। भवन का निर्माण पूरा होने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा रिले केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

Employees Terminated/Appointed by HUDA in District Gurgaon

56. Chaudhri Shiv Lal : Will the Chief Minister be to state —

(a) the number of employees, whetherAppointed on casual, temporaryAndAd hoc basis, separately, whose services were terminated by H.U.D.A. in District GurgaonAfter July, 1987 to date (29-2-88);

(b) the number of personsAppointed by H.U.D.A. in Gurgaon on casual orAd-hoc basis, ifAny,After July, 1987, together with the mode of their employment;And the number of employees, out of thoseAs referred toAbove in part(b)Above, belonging to GurgaonAnd other districts, separately ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): कैटेगरी अनुसार कर्मचारियों से संबन्धित सूचना निम्न प्रकार है:–

		आकस्मिक	अस्थाई / तदर्थ
(ए)	सेवा से निकाले गए	26	6
(बी)	(1)नियुक्त किए गए	160	39
	(2)नियुक्ति विधि–	सीधी भर्ती द्वारा	
(सी)	(1)गुड़गांव जिला	146	

	(2)अन्य जिले	14	39

Country made liquor lifted from M/sAssociated Distillery Pvt. Limited Hisar

73. Shri Pardeep Kumar Chaudhry : Will the Minister for Home be pleased to state the year-wise quantity of country made liquor lifted from M/sAssociated Distillery Pvt. Limited Hisar during the period from 1984-85 to 1987-88 (upto 20-6-87)And from 20-6-87 to 29-2-88, separately ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): मैसर्ज एसोसिएटिंड डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटिड, हिसार ने देसी शराब की भराई दिनांक 27—8—84 से शुरू कर दी थी। इस मद्यशाला से सप्लाई की गई देसी शराब का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्रमांक	अवधि	सप्लाई की गई कुल मात्रा प्रूफ लिटरों में
1.	1984—85 (1— 8— 84 से 31— 3— 85)	7,09,413
2.	1985— 86 (1— 4—85 से 31—3—88)	25,14,804
3.	1986— 87	27,79,372

	(1–4–86 से 31–3– 87)	
4.	1987–88 (1–4– 87 से 20– 6– 87)	7, 07,176
5	1987– 88 (21– 6–87 से 29–2–88)	13,39,513

Allotment of Revolvers Etc. from Govt. Quota

74. Shri Pardeep Kumar Chaudhry : Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the name of persons with their addresses who have been allotted Revolvers/Pistol/Guns/Rifles out of the Govt. quota during the, period from 18th January, 1988 to 15th March, 1988; and

(b) the procedure adopted for the allotment of the said arms ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क)उक्त अवधि में सरकार द्वारा किसी अस्त्र का आबंटन नहीं किया गया।

(ख)प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Construction of Market Committee, Taoru

75. Chaudhri Tayyab Hussain : Will the Minister of State for Agriculture be pleased to state—

(a) the total amount of compensation, if any, paid for the land acquired for the construction of Market Committee Taoru, District Gurgaon;

(b) whether the construction of the said committee has been started;

(c) if so, the amount so .far spent thereon; and

(d) the time by which the construction of the said committee is likely to be completed ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह):

(क)8,44,498. 35 रुपए।

(ख) हां जी।

(ग)भूमि अर्जन की कीमत के अतिरिक्त अब तक 11. 85 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। इस मण्डी के निर्माण पर लगभग 58.66 लाख रुपये का व्यय होगा। मार्किट कमेटी की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण निर्माण कार्य चरणों में किया जा रहा है। (घ)मार्च, 1987 में मण्डी के विकास का प्रथम चरण शुरू किया गया है जिसमें मण्डी की अन्दरुनी सड़कें, निजी प्लेट फार्म, चार दीवारी, पब्लिक टयिलेट का निर्माण किया जा रहा है जिस पर 13.66 लाख रुपये का खर्चा होगा। अनुमान है कि यह निर्माण सितम्बर, 1988 तक सम्पूर्ण हो जायेगा और अधिकतर कार्य

जैसा कि कामन प्लेट फार्म, सीवरेज, कार्यालय भवन कम विश्राम गृह, पशु गृह इत्यादि द्वितीय चरण अर्थात 2–3 वर्षो में फंडज के उपलब्ध होने पर सम्पूर्ण होने की, संभावना है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

तहसील हिसार के हरियाणा अधिकारी को टेलोफोन पर केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा कथित धमकी देने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of Call Attention Motion No. 16 from Shri Hira Nand Arya, M.L.A. regarding alleged threat by the Central Agriculture Minister to Haryana Officer of Tehsil Hisar on Telephone. I admit it. Shri Hira Nand Arya may read his notice and the Minister concerned may make a statement thereafter.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं इस महान सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि दैनिक समाचार पत जनसला दिनांक 25–3– 1988 में एक समाचार छपा है कि केन्द्रीय कृषि मन्ती ने तहसील हिसार के एक हरियाणा के अधिकारी को टेलिफोन पर धमकी दी है। एस० एस० पी० हिसार को भी इसी प्रकार की शिकायतें पहले मिली थी। ऐसी घटनाओं का रोजाना होना प्रशासन तथा लोगों में तथा का वातावरण पैदा कर रहा है। ऐसी स्थिति गम्भीर स्थिति को पैदा कर सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों में हतोत्साह के कारण हरियाणा के लोगों को हानि हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से

निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करने के बाद सदन को सूचित करें।

वक्तव्य–

गृह मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): श्री भजन लाल, केन्द्रीय कृषि मन्दी द्वारा. कई राज्य अधिकारियों को धमकी देने का मामला 1 सरकार के ध्यान में आया है। उन्होंने दिनांक 26– 7– 87 को पूलिस अधीक्षक, हिसार को दूरभाष पर कहा था कि यदि किसी पुलिस अधिकारी ने किसी बिश्नोई (कबीला जिससे श्री भजन लाल का सम्बन्ध है)के विरुद्ध कोई कदम उठाया तो उसका परिणाम पुलिस अधीक्षक तथा उसके सम्बन्धियों को भुगतना पड़ेगा।

फिर दिनांक 25– 9– 87 को श्री भजन लाल ने दूरभाष पर श्री तारा चन्द थाना प्रबन्धक थाना सदर हिसार पर यह आरोप लगते हुए कहा कि थाना प्रबन्धक को श्री भजन लाल के मतदाताओं की जूतों से पिटाई करने तथा असुविधाएं पहुचाने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। दिनांक 2– 3– 88 को फिर श्री भजन लाल ने श्री श्री आर० एस० ढल तहसीलदार हिसार को दूरभाष पर धमकी दी कि उसके साथ भी वही व्यवहार किया जायेगा जैसा कि कथित पहले एक तहसीलदार के साथ किया गया था तथा उसे बुरी तरह नीचा दिखाया गया था क्योंकि श्री ढल ने एक आदेश जारी करके भजन लाल के सम्बन्धियों, जो कि सांझी जमीनै पर

कब्जा कर रहे थे पर जुर्माना किया था। दिनांक 2– 4– 88 को श्री भजन लाल हिसार आये थे तथा उपायुक्त हिसार व पुलिस अधीक्षक, हिसार उनके स्वागत के लिये लोक निर्माण विभाग, विश्राम गृह हिसार में उपस्थित थे। लगभग 1 बजे श्री भजन लाल ने पुलिस अधीक्षक, हिसार को उपायुक्त हिसार की उपस्थिति में चेतावनी दी थी कि वह उनके समर्थकों को जात–पात के आधार पर तंग कर रहा है तथा बिश्नोइयो को निशाना बना का है। इसके अतिरिक्त श्री भजन लाल ने पुलिस अधीक्षक हिसार को सावधान किया था कि श्री लखी राम सेवा–निवृत होने वाला है परन्तु उसने (पुलिस अधीक्षक हिसार)अभी काफी समय तक नौकरी करनी है तथा जब वह शक्ति मे आया तो उसको हानि पहुंचायेगा।

हम ऐसे व्यक्ति की जो कि केन्द्रीय कृषि मन्त्री के ऊंचे पद पर हैं सरकार के कर्मचारियो को जिनका कोई दोष नहीं और जो जनता की सेवा के लिये कार्य कर रहे हैं, उनको धमकी देने के लिये कड़ा विरोध करते हैं। राज्य सरकार इस मामले को केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाने के लिये विचार कर रही है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सं० 16 पर गृह मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्यत पर चर्चा के लिए समय अलौट करना

(इस समय बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री रघु यादवः स्पीकर सर, यह बडा ही सीरियस मामला है, इस पर आधे घंटे की बहस होनी चाहिये। (शोर)

श्री अध्यक्षः यादव जी, आप बैठिए। (शोर)

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, इस तरह से केन्द्रीय मन्त्रियों द्वारा टेलीफोन पर हमारे अधिकारियों को धमकियां दी जाएं, यह बहुत गल्त बात है।

आवाजें: यह बहुत सीरियस मामला है, इस पर बहस का समय मिलना चाहिये। (शोर)

श्री अध्यक्षः साहेबान, औप सब कृपया शान्ति से बैठिए। वैसे तो मुझे इस बारे में लिखित रूप में आना चाहिये था। लेकिन मैं मैम्बर्ज की ऐंग्जायटी को समझता हूं, इसलिये आज तो नही परसों इसके लिये टाईम अलौट कर दूंगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इसके लिये लिख कर भी दे दिया है। (शोर)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Mahender Pratap Ji, I am ready to listen to you, but I hope you will not say anything, which may invite provocation.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी कोई गलत बात नहीं कहूंगा जिससे प्रोवोकेशन हो।

श्री अध्यक्षः ठीक है। आप बोलिए।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मामले की असलियत के बारे में तो मुझे पता नही है लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति गलत बात करता है चाहे वह कितना ही बड़ा हो यदि वह प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों को धमकी देता है तो उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन अखबारों में जो कुछ छपा है वह भी मैंने पढ़ा है। (शोर)

श्री अध्यक्षः महेन्द्र प्रताप सिंह जी आप बैठ जाएं। (शोर)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, ... (शोर)

श्री अध्यक्षः यह कुछ रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

सिचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, श्री महेन्द्र प्रताप जी सदन के सीनियर मैम्बर हैं। इनको इस बात का पता होना चाहिए कि काल अटैंशन मोशन पर उसी मैम्बर को दो क्वैश्चन पूछने की इजाजत दी जाती है जिसने उसका नोटिस दिया होता है। माननीय सदस्य श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी इस पर कोई क्वैश्चन नहीं पूछ सकते और कोई सप्लीमैंटरी नहीं कर सकते।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय मैं तो अपनी जानकारी के लिए कुछ पूछना चाहता था।

श्री अध्यक्षः महेन्द्र प्रताप सिंह जी, अब आप बैठ जाए, आप इस बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकते। Let us proceed further.

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, खरक कैमिकल्ज द्वारा खाद को जला कर विस्फोटक पदार्थ बनाने के बारे में मेरा एक काल अटैंशन मोशन था, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्षः वह गवर्नमैंट को कुमैंट्स के पिये भेजी हुई है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, एच० सी० एस० के रिजल्ट के घपले के बारे में मेरी भी एक काल अटैशन मोशन थी उसका क्या बना?

श्री अध्यक्षः वह अंडर कसिड्रेशन है।

श्री लछमन सिंह कम्बोजः स्पीकर साहब, हरियाणा गवर्नमैंट द्वारा जहाज खरीदने के बारे में मेरा भी एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस था उसका क्या फैसला किया गया है?

श्री अध्यक्षः वह गवर्नमैंट को कुमैट्स के लिए भेजी हुई हे।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, 8 किलोमीटर के घेरे में गांव वालों से बढ़ा हुआ बस किराया लेने के बारे में मेरा एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस था, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्षः वह डिस–अलाऊ हो गया है।

श्री कैलाश चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत दिनों से एक शार्ट नोटिस क्वैश्चन दिया हुआ है, उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है?

श्री अध्यक्षः आप मेरे चौम्बर में आ जाएं, इस बारे में बात कर लेंगे।

– बिल्ज–

(1)दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउसिज औफ मिनिस्टर्ज अक्डमेट बिल, 1988

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब एक मन्दी दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउंसिज औफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट)बिल, 1988 को इन्ट्रोड्यूस करेंगे और मूव करेंगे कि बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers(Amendment) Bill, 1988.

Sir, I also move—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री परमा नन्द (जींद): स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने आज एक ऐसा बिल पेश किया है जो स्वयं उन्हीं के तबके से संबंधित हे। इस बिल के द्वारा मंत्रियों के वेतन तथा अन्य भत्ते बढ़ाने की बात कही गई है कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही हैं अखबारों में और लोगों में कि यह कैसा राज है, सूखे के टाईम पर मती लोग खुद अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। मैं इस विषय में एक दो बातें कहना चाहूंगा और इस महान सदन का ध्यान अंग्रेजी के एक वन ऐक्ट प्ले की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसका टाईटल मदर्ज डे है। इस वन ऐक्ट प्ले में यह दिखाया गया है कि मां घर का सारा काम करती हैं, खाना पकाती है, बच्चों के कपड़े तैयार करती है, चाय काफी सब कुछ तैयार करके देती है और पति को दफ्तर में जाने के लिए तैयार करती है लेकिन सारा घर बेटे, बेटियां और पति यह समझते हैं कि वह इस घर के लिए कोई योगदान नहीं कर रही है। हर कोई उस मां पर रोब डालता है। किसी को क्लब में जाने की जल्दी होती है, किसी को अपने फ्रैण्ड के साथ जाने की जल्दी होती है। इस प्रकार हर परिवार का

सदस्य उस मां को झिड़कता है। बाद में उस मां की एक फ्रैण्ड उसे कहती है कि तुम अपना रूप बदल कर देखो, तब परिवार वालों को पता चलेगा कि आपकी घर में क्या अहमियत है? उसकी फ्रैण्ड उस मां को कहती है कि तुम अपनी आत्मा मुझे दे दो और मेरी आत्मा तुम ले लो, तंव इन्हें पता चल जायेगा। जब वह मां ऐसा करती है तब पता चलता है कि उस मां की उस घर में क्या अहमियत होती है? जब वह परिवार वालों से पूछती है तो उसे कोई भी सदस्य जवाब देने के लिये तैयार नहीं होता। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसी प्रकार से कम वेतन होने की वजह से मंत्रिमंडल में जो हीन भावना थी उसको कम करके एक बहुत ही अच्छी चीज इस बिल के जरिए पेश की गई हे। सन 1970 से लेकर आज 1988 तक काफी मंहगाई बढ़ी है। मंहगाई बढ़ने के साथ साथ दूसरे तबके के लोगों के वेतन भी बढ़ाये गए हैं। मंत्रियों के वेतन 1970 में बढ़ाये गए थे लेकिन उसके बाद आज कई गुना मंहगाई बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एम०एल०एज० के भी काफी कम वेतन हैं। 18 सालों से मंहगाई लगातार बढ़ती जा रही है। किन्ही आईटमों में मंहगाई 4–5 गुना बढ़ी है तो किन्हीं आईटमों में 1०–– 12 गुना बढ़ी है। इस बढ़ती हई मंहगाई के कारण वेतनों को बढ़ाना कोई गल्त कार्य नहीं है। इसके साथ साथ हमेश (यह देखा जाता है कि जो साथ के प्रान्त है उनमें उन कैटेगिरी के लोगों को क्य क्या सुविधाएं और वेतन मिल रहे है? दूसरे प्रदेशों का क्या हाल है? हरियाणा राज्य के मंत्रियों की तुलना यदि पंजाब उत्तर–प्रदेश और

हिमाचल प्रदेश के साथ की जाये तो उनके वेतन और दूसरी सुविधाएं यहां के मंत्रियों से ज्यादा हैं। यहां के मंत्रियों के वेतन और भत्ते उनके मुकाबले में बहुत कम है। इसलिये यह मांग अनुचित नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ अखबारों में समाज के कुछ वर्गों की तरफ से यह आवाज उठाई गई है कि इस भयंकर सूखे के समय जहां इतना सूखा पड़ा हुआ हो, उस हालत में वेतन बढ़ाना एक प्रकार से मंत्री सूखा राहत अलाउंस ले रहे हैं। मैं अपनी बात के माध्यम से उन आदमियों को बतलाना चाहता हूं कि वे गलत प्रकार से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। 1970 से लेकर आज तक दूसरी कैटेगरीज के वेतन लगातार बढ़ाये गए हैं जबकि मंत्रियों के वेतन और भत्ते आज से 18 साल पहले बढ़ाये गए थे। उसकी तुलना आज की मंहगाई के साथ की जाये तो ये वेतन भी कम रहेंगे। मैं तो यह भी कहूंगा कि जो लोग इस बढ़ाये हुए वेतन भत्तों को सूखा राहत कह रहे है यदि वे इसे फ्लड राहत कहें तो अच्छा रहेगा क्योंकि मंत्रियों को जहां अपने खर्चे चलाने पडते हैं वहां रोजाना शाम के समय मंत्रियों को दूसरे आदमियों के भी खर्च चलाने पड़ते है। हर शाम को 25– 30 आदमी हरेक मती के मकान पर पहुंच जाते हैं शाम के समय मंत्रियों के मकानो पर लोग फ्लड की तरह आते हैं और उस संबंधित मती को वह फ्लड सम्भालना पड़ता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए यहां जो बिल लाया गया है और इस बिल मे जो मांग की गई है वह उचित है। अगर इनकी तुलना हम ब्यूरोक्रेसी से करें तो उस हालत में बड़े रोमांचकारी तथ्य सामने

आते है। एक विभाग का मंजी केवल 1500० रुपये वेतन पाता है और शायद उसके नीचे काम करने वाला कमिश्नर या सैक्रेटरी 8000 रुपये वेतन पाता है। कई बार तो आम क्लर्क और स्टैनो भी 1500 रुपये से ज्यादा तन्खाह पाते हैं। इस प्रकार इस बिल में जो मंत्रियों के वेतन 1500 से 3000 करने की मांग की गई है, वह अधिक मांग नही है। कुछ साथियों ने कहा कि मंत्रियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है। उनके पास फ्री अकमोडेशन है, कार है, टेलीफोन और बिजली पानी की सुविधा है। वास्तव में एक प्रकार से देखा जाये तो एक मिनिस्टर का रैजीडेन्स ही नहीं है बल्कि वह रैजीडेन्स कम–औफिस भी है। वह वहां बैठ कर काम करता है। उसके पास हल्के के लोग भी आते रहते हैं। उनके रहने पर खर्चा भी लगता है और प्रान्त के दूसरे लोग भी आते है, उनका भी खर्चा होता है। इन तमाम चीजों को देखेते हुए मैं यह समर्थन करता है कि मांग उचित है और इसे स्वीकार कर लेना काहिए।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय आज सदन के समक्ष हरियाणा मन्त्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन)विधेयक, 1988 पेश किया गया है। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार मुख्य मंत्री, मंत्री और राज्य मंत्रियों के वेतन को बढ़ाने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इससे जाहिर होता है कि जो केन्द्रीय सरकार के कुशासन की वजह से दिन प्रति दिन मंहगाई बढ़ती जा रही है उत मंहगाई से हरियाणा के मुख्य मंत्री, मती व राज्य मली

भली भांति वाकिफ ही नहीं बल्कि महंगाई की पीड़ा के भुक्तभोगी है। इसलिए यह जो मुख्य मंडी, मंत्री और राज्य मंत्रियों का वेतन वृद्धि संशोधन विधेयक रखा गया है इसका समर्थन करते हुए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा की वर्तमान लोकप्रिय सरकार इस समाज के मेहनतकश तबकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के अभूत– पूर्व समर्थन और सहयोग से बनी है। समाज के सभी वगों के लोग आज के समय में मंहगाई से बुरी तरह पीड़ित हैं। हमारे मुख्य मंत्री, मंत्री और राज्य मंत्रियों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव यह साबित करता है कि हमारे कर्मचारी और अन्य वर्ग के लोग भी मंहगाई की मार से बुरी तरह से पीड़ित हैं। मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से गुजारिश करूंगा कि विभिन्न कैटेगरी के कर्मचारियों के वेतनमानों में जो विसंगति है, उसको तत्काल दूर करें। अभी श्री परमा– नन्द ने कहा कि मंत्रियों के अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे उन्हें कम वेतन मिलता है। यह हकीकत है और एक विड्म्बनापूर्ण स्थिति है। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रियों के पास लोगों का फ्लड आता है। इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि मली तो खुद फ्लड से आते हैं। जब जनता फ्लड के तौर पर उनके पीछे होती है तब वे कोठियों में आते हैं। मंत्री जिन कोठियों में बैठते हैं, उनके निवास का दो हजार से आठ हजार रुपये मासिक किराया दिया जाता है। एक मामूली कर्मचारी, जो सचिवालय या– हरियाणा सरकार के अन्य कार्यालयों में तैनात हैं उसे 40– 50 रुपये महीना किराया दिया जाता है। चालीस पचास रुपये में चण्डीगढ़ में कोई

मकान नही मिल सकता। अतः कर्मचारियों को अधिक हाउस रैटं दिया जाये। इसी तरह से ग्रामीण इलाकों की बात है, थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मली श्रीमती कमला वर्मा ने स्वीकार किया था कि असुविधाओं की वजह से वहां लोग रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक सुविधा दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी अध्यापक के रूप में नौकरी में आता है। 35–40 साल नौकरी करने के बाद भी वह मास्टर के रूप में ही रिटायर हो जाता है। यही हाल पुलिस में तथा दूसरे अन्य विभागों में भी है जब कि भारतीय सेना में जो सैनिक रिक्रूट होता णै उसे पन्द्रह साल की नौकरी में दो पदोन्नतिया दिया जाना अब अनिवार्य हो गया है। स्टैगनेशन से इनऐफिशैन्सी आती है। करप्शन को खत्म करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्मचारियों को बढ़ती हुई मंहगाई के अनुरूप वेतनमान दें और यदि वेतनमान में कोई विसंगतियां हैं तो उनको तत्काल दूर करें, उनको समयबद्ध पदोन्नतिया दें ताकि स्टैगनेशन टूटे और ऐफिशैन्सी बढ़े। कर्मचारियों के हाउस रैण्ट को बढ़ाया जाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं ताकि हमारी ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य पेयजल तथा जीवन की अन्य दूसरी आधारभूत जरूरतें प्रदान करने में कर्मचारी अपना पूर्ण सहयोग दे सकें। इसके साथ ही, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अपने कर्मचारियों की जायज मांगों को भी पूरा करे।

श्री आत्मा राम गोदारा (घिराय): अध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन)विधेयक, 1988 जेरे गौर है। अध्यक्ष महोदय, सारे देश में मंहगाई का जो भारी प्रकोप है उसको देखते हुए चारों तरफ ताहि–ताहि। मची हुई है। कर्मचारी ऐजिटेशन करते हैं कि उनके वेतन तथा अन्य भत्ते बढ़ाए जाएं आम जनता इसलिए ऐजिटेशन करती है कि मंहगाई ज्यादा हो गई है उसे कम किया जाए। इस का अर्थ यह है कि जनता का प्रत्येक वर्ग मंहगाई की मार से प्रभावित है। यह विधेयक प्रस्तुत करके सरकार ने वास्तविकता को स्वीकार किया है? अगर गौर से देखा जाए तो इस समय मन्त्री को जो तनख्वाह मिलती है उसके मुकाबले में मन्त्री के ड्राईवर को मंत्री से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। इस तरह की बातें आदर्श के तौर पर चाहे हम कह लें कि मन्त्री या विधायक तो जनता की सेवा करने के लिए स्वयं आये हैं इसलिए उनको भत्तों या वेतन की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर कोई आदमी जनता का प्रतिनिधि होने के नाते या जनता की सेवा करने के लिए किसी ऐसी जगह पर आता है तो इसके साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए कि वह अपना सारा समय जनता के काम करने के लिए लगाता है। उपयुक्त रूप से उसको वेतन, भत्ते और सहूलियतें देने में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई यह कहे कि जन प्रतिनिधियों को कुछ नहीं मिलना चाहिए तो यह वास्तविकता को नकारने वाली बात है। इसीलिए आज यह विधेयक सदन के समक्ष जेरे गौर है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता

हूं। मंत्रियों की तनख्वाह 1500 रुपए से बढ़ा कर तीन हजार रुपए की गयी है और दूसरे भत्तों में जो वृद्धि की गई है, मेरे विचार से मंहगाई को देखते हुए यह कम है। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदयों ने यह वृद्धि इसलिए कम की है क्योंकि हरियाणा में इस समय सूखा पडा हुआ है और इस संकोचवश अधिक वृद्धि करना उचित नही समझा। वास्तव में यदि देखा जाए तो मत्रियों को जो वेतन आजकल मिल रहे है वे मंहगाई को देखते हुए बहुत ही कम हैं। जैसे कि प्रोफैसर परमानन्द जी ने बताया है कि मंत्रियों के पास लोग मिलने के लिए जाते है और मन्त्री महोदय अगर उनको एक कप चाय के लिए ही पूछ लें तो मैं समझता हूं कि उनको मिलने वाला वेतन पांच–सात दिन में ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे हालात में यह विधेयक ऐसे समय में सामने लाया गया है और वास्तविकता को स्वीकार किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

11.00 बजे

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में हरियाणा मन्त्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन)विधेयक, 1988 पर विचार विमर्श हो रहा है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा इस लोकप्रिय सरकार के मुख्य मंत्री मन्त्री और उप मन्त्रियों के भत्तों में वृद्धि की जा रही है। आज हमारे लिए यह नया विषय नहीं है। यह सरकार संघर्ष के दौरान

से निकली है और ये मन्त्री किसान और मजदूर के बेटे हैं। ये लोग न्याय युद्ध के बाद यहां सत्ता में आए हैं। तो यह स्वाभाविक है कि आज ये जन प्रतिनिधि शहरों की कोठियों में बैठने वाले और एयर कडिशंड कोठियों में बैठने वाले ना–ईमानदार प्रतिनिधि नही हैं बल्कि ये जन प्रतिनिधि हैं। हमारे चौधरी देवी लाल जो इस सदन के नेता हैं और राज्य के मुख्य मैली हैं उन्होंने एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद सत्ता हासिल की है। उनका नारा है कि हम समस्त हरियाणा से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर देंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है इसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर लाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि जब राज्य में भ्रष्टाचार पनपता है तो वह ऊपर से पनपता है। अगर ऊपर से भ्रष्टाचार नहीं होगा तो नीचे स्तर पर भी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। आज इस मंहगाई के युग में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इन सुविधाओं का दिया जाना बहुत ठीक है। इसके साथ ही हमारे माननीय मंत्रियों के पास और विधायकों के पास सरकार बनने के बाद अपार जन समूह आया। जब वे लोग यहां के सैक्रेटेरिएट में आए तो चण्डीगढ़ की सड़कें उनके वजन से दब गई थीं। आज भी उसी तरह से यहां पर भारी भीड़ रहती है। उसका कारण यह है कि सत्ता के दलालों से छुटकारा पाने के बाद लोगों को आज जन प्रतिनिधि सरकार दिख गई है। हमें अपने आप को दूसरे राज्यों की तुलना करने के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा प्र देश कृषि तथा अन्य मामलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहां हम इस बात का ध्यान

रखते हैं वहां हमें पंजाब, हिमाचल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक जैसे राज्यों को भी देखना चाहिए कि वहां पर क्या वेतन भत्ते हैं? अगर हम अपने मन्त्रियों का वेतन उन प्रदेशों के बराबर नहीं रखते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारे मन्त्रियों के प्रति अन्याय होगा। हमारी सरकार सभी वर्गों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए प्रयत्नशील है। अगर मन्त्रियों को भी यह सुविधा मिल जाती है तो कोई अन्याय वाली बात नही है। आज से 17– 18 साल पहले यानी 1970 में इनके वेतन और भत्ते निश्चित किए गए थे, उनमें आज थोड़ी सी वृद्धि की गई है। आज हमारे मुख्य मैली को 3100 रुपए और मन्त्रियों को 3000 रुपए तथा उप–मन्त्रियों को 2500 रुपए तनखाह देने का प्रावधान रखा गया है। पहले केवल मुख्य मत्री महोदय को सत्कार भत्ता के रूप में राशि मिलती थी। उसके अन्दर अन्य मन्त्रियों के लिये कोई प्रावधान नहीं था। इस संशोधन के द्वारा 1,000 रुपये मुख्य मंत्री महोदय को और अन्य मन्त्रियों को 500 रुपये सत्कार भत्ता के रूप में देने का प्रावधान किया गया है, यह न्यायोचित हे। इसके साथ ही साथ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरी व्यवस्था के तहत और सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहां हम इन सब को जायज और न्यायोचित कहते हैं, वहां पर एक बात की तरफ हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता सर्वोपरि है। जनता के प्रतिनिधि विधायक के रूप में यहां पर चुनकर आते हैं। अपने महान नेता की कृपा दृष्टि से या उनकी सूझ–बूझ से विधायको में

से कुछ मत्री पद पर आसीन कर दिये जाते हैं। मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूं लेकिन मैं केवल सांकेतिक रूप में ही कहूंगा। एक विधायक के लिये भी जनता के प्रतिनिधि होने के नाते और सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते सुविधा देने वाली बात पर गम्भीरतापूर्वक और सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाये। उनके लिये चाहे सत्कार भत्ता की सुविधा भले ही न मिले लेकिन निश्चित रूप से उनको जन–प्रतिनिधि होने के नाते ट्रांसपोर्टेशन, स्टैनोटाइपिस्ट की फैसिलिटी और दूसरी सुविधायें देने पर विचार किया जाये ताकि वे जनता की बेहतर सेवा कर सकें। इसके साथ ही जहां तक दूसरे कर्मचारियों का सवाल है, जैसे हमारे साथी श्री रघु जी ने कहा था, हमारे कुछ सरकारी–कर्मचारी या अधिकारी ऐसे हैं, जिनके वेतन अलग–अलग डिपार्टमैट्स में अलग–अलग हैं। कुछ में ज्यादा हैं और कुछ में कम हैं। हमारे यहां अध्यापक जो एक सरकारी कर्मचारी भी है और हमारे समाज का एक अंग भी हैं, उसको आज की मंहगाई और परिस्थितियों के अनुसार कमं वेतन मिलता है। मैं खुद भी अध्यापक रहा हूं। में इस बात को भली भांति जानता हूं। मुझे मुंशी प्रेम चन्द की कही हुई एक बात याद आती है जब एक आदमी इस संसार से चल बसा और जब उसे ले जा रहे थे, तो उसके पीछे 4– 5 आदमी चल रहे थे। किसी ने उनसे पूछा कौन मर गया है, तो मुंशी प्रेम चन्द जी ने कहा था कि कोई अध्यापक मर गया होगा। अध्यापक का हमारे समाज में यह माप–दंड है। राज नींतिक प्रतिनिधियों के लिये भी आदर्श जीवन जरूरी है। उस आदर्शवाद को मेनटेन करने के लिये

और अध्यापकों को ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिये अगर उनकी तनख्वाह और बढ़ा दी जाये तो सरकार के साथ ही जनता भी उसका स्वागत करेगी और यह सारा सदन भी इस बात के लिये बधाई का पात्र होगा। मुझे बड़े ही हर्ष के साथ यह दोहराना पड़ रहा है कि इस 9 महीने के शासन के दौरान जन प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार को मिटाने के क्षेत्र में जनता की जो सेवा की है, वह पिछले 20 साल तक कांग्रेसी भाई नही कर सके थे। मुझे भी पिछले 20 सालों का अनुभव है। जब कांग्रेसी भाई सत्तासीन थे, और यहां कुर्सियों पर बैठे हुए थे, तब यहां पर पद भरने के लिए बोली लगाई जाती थी। नायब तहसीलदार और तहसीलदार की सिलैक्शन एक लाख रुपये में होती थी और ट्रांसफर्ज के लिये भी एक निश्चित रकम तय होती थी। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि हम विधायक और मंत्री इस बात का सबूत हैं कि जनता उनसे तंग आ चुकी थी। मैं उन सारी बातों को यहां दोहराना नहीं चाहता। काला बाजार या दलाली करने वाले लोग नंगे हो चुके हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जनता का भरपूर समर्थन मिला है। हमारे एक अन्य साथी श्री गोदारा साहब ने भी इस बारे में कुछ कहा हे। मैं भी संकोचवश यह कहना चाहता हूं कि यह बात निश्चित है कि अगर हम भी कुछ आदर्श स्थापित करना चाहते हैं तो हमें आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कम से कम पडोसी राज्यों के बराबर विधायकों को सुविधायें देने की कोशिश करनी ही चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारा राज्य आज आर्थिक संकट की स्थिति में है और भयंकर सूखा पड़ा

हुआ है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस न्यायोचित संशोधन का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

चौधरी किशन सिंह सांगवान (गोहाना): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो हरियाणा सैलरीज एण्ड अलाउसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट)बिल, 1988, सदन के सामने रखा गया है, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे वरिष्ठ साथी भाई परमानन्द जी ने इसकी आवश्यकता के बारे में काफी विस्तार सें चर्चा की है। मैं भी इसके समर्थन मे कुछ बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री, मन्त्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और विधायक एक बहुत बड़े संघर्ष और एक बहुत बड़े आन्दोलन से निकले हैं। हरियाणा के हितों के लिए हरियाणा के एक करोड़ चालीस लाख लोग, हरियाणा की छत्तीस बिरादरी के लोग इस संघर्ष में जुड़ गए थे। हरियाणा का एक–एक आदमी इस सरकार के मुख्य मंत्री, मण्डियों और सभी विधायकों से पूरी आशा लगाए हुए हैं कि वे हमारी भलाई के कार्य करें। हरियाणा का हर आदमी इस सरकार के मुख्य मन्त्री, मन्त्रियों और विधायकों से सीधा जूड़ा हुआ है। पिछली सरकार की तरह इस वक्त कोई कमिशन एजेन्ट नहीं है। हरियाणा की सारी जनता जानती है कि पिछली जो भी सरकारें रही हैं उनके समय में हर हल्के में दो चार आदमी ऐसे होते थे जो एम०एल०ए० और मिनिस्टर्ज से मिले हुए होते थे और एक तरह से वे दो चार आदमी कमिशन एजेन्ट का काम करते थे। जनता का कोई आदमी

एम०एल०ए० या मिनिस्टर से सीधी बात नहीं कर सकता था। जनता को किसी आदमी को अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं होती थी और न उस समय किसी आदमी की सुनवाई होती थी। डिप्टी स्पीकर साहब, आज जनता का एक–एक आदमी, एक एक बच्चा अपने एम०एल०ए० और मिनिस्टर से अपने दु:ख दर्द की बात कह सकता है। आज हालत यह है कि एम०एल०ए० का कमरा लोगों से भरा रहता है और सैक्रेटेरियेट में मिनिस्टर्ज के कमरों में भीड़ लगी रहती है। एक–एक एम०एल०ए० के पास बीस–तीस आदमी हर समय रहते हैं और हरेक मिनिस्टर के पास सौ डेढ़ सौ आदमी हर समय रहते हैं। वे लोग वहीं चाय पीते हैं और वहीं खाना भी खाते हैं। आज हरियाणा का आदमी अपने एम०एल०ए० और मिनिस्टर से बहुत आशाएं लगाए बैठा है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरियाणा की जनता चौधरी देवी लाल की सरकार से बड़ी भारी उम्मीदें लगाए बैठी है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज इस बिल के जरिए जो मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रियों के वेतन बढ़ाने की बात आई है यह बहुंत जरूरी है। इस बिल की मारफत जो कुछ बढ़ाया जा रहा है यह बहुत थोड़ा शै। मेरा कहना तो यह है कि अगर इसको और बढ़ाया जा सकता हो तो बहुत अच्छी बात होगी। पिछली सरकार की तरह से इस समय की सरकार के मन्त्रियों को कोई और आमदनी नहीं। उस समय बहुत अधिक करप्शन थी। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात याद आती है। एक बार एक हल्के के पांच–दस आदमी एक पटवारी का तबादला कराने के लिये पिछली सरकार के किसी मुख्य मन्त्री के पास आए। डिप्टी

स्पीकर साहब, आपको पता हीं है कि जब एक आदमी चण्डीगढ़ आता है तो सौ पचास रुपए उसके खर्च हो ही जाते हैं। जब वे चार पांच आदमी मुख्य मन्त्री से पटवारी के तबादले के बारे में मिले तो उस मुख्य मन्त्री ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि आप चार पांच आदमी यहां आए हो और आपके दो सौ चार सौ रुपए खर्च हुए होंगे। अगर आप सौ रुपए पटवारी को देकर काम करवा लेते तो दो सौ चार सौ रुपए क्यों खर्च होते? उपाध्यक्ष महोदय, उस समय इस तरह के मुख्य मंत्री होते थे। आज के मुख्य मंत्री और उस समय के मुख्य मन्त्री में बड़ा भारी फर्क है। इसलिए मैं सदन के सभी सदस्यों से उम्मीद करता हूं कि वे इस बिल का पूरा समर्थन करेंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। मुझे बजट पर बोलने का ज्यादा समय नहीं मिला था इसलिए मैं उस वक्त अपनी बात नहीं कह सका था। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा यूक बड़ा प्रतिष्ठित वर्ग है और वह वर्ग है जुडिशियरी। मैं इस वर्ग के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारा कोई भी जज चाहे वह सैशन जज है, एडीशनल जज है या कोई दूसरा जय है, बस में की सफर नहीं कर सकता। एक कांस्टेबल बस में फ्री सफर क्र सकता है लेकिन मैजिस्ट्रेट की सफर नहीं कर सकता। जुडिशियरी के पास कोई कार नहीं है और न कोई उनके पास टेलीफोन की व्यवस्था है। मेरा कहना यह है कि उनकी कार की व्यवस्था की जाए और उनको टेलीफोन की सुविधा दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय,

तीन सौ या तीन सौ पचास जुडिशियरी के लोगों में से केवल 170 लोगों के पास रिहायश का प्रबन्ध हे। सिर्फ 170 लोगों को मकान मिले हुए हैं। 15० या 125 ऐसे जजिज हैं जिनके पास रिहायश का कोई प्रबन्ध नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि इनके लिए रिहायश का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए। यह बहुत इम्पोरटैन्ट बात है। हमारी सरकार को जुडिशियरी की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। में फिर एक बार सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उनको टेलीफोन की सुविधा, कार की सुविधा, मकान की सुविधा और बसों में की ट्रैवल करने की सुविधा, ये चार सुविधाएं दी जाएं। इन शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री नरसिंह डोडा (पाई): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक यहां पर आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक बड़ा ही जरूरी बिल है और यह आज बड़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, स्पीकर व डिप्टी स्पीकर साहब की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। कुदरती तौर पर यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे विषयों पर कुछ लोग अवश्य ही चर्चा करते हैं और अपने मन की बातें कहना अपना कर्तव्य समझते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम यह महसूस करते है कि मुख्य मन्त्री, मण्डियों एवं एम० एल० एज० की तनखाहों के साथ दूसरे वर्गो की भी तनख्वाहें बढ़नी चाहियें जबकि कर्मचारियों को इस सरकार ने काफी राहत दी भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बतलाता हूं कि सर छोटूराम जी आजादी से पहले मन्त्री हुआ

करते थे और उनका एक महीने का वेतन 3 हजार रुपये हुआ करता था। यह आज से 40– 45 साल पहले की बात है। उस टाईम की मंहगाई और आज की महंगाई में आप जरा अन्तर भी लगा लीजियेगा। उस वक्त का तीन हजार रुपया आज कम से कम तीन लाख के करीब बनता होगा। उस समय लोगों के पास आने जाने के साधन नहीं होते थे। लाहौर तक जाने के लिये 6– 6 महीने, साल–साल और दो–दो सात्र लग जाते थे। उस समय भी सर छोटूराम जी की मासिक तनखवाह 3 हजार रुपये थी। आज के मन्त्री की तनखवाह केवल 1500 रुपये हैं और उनके नीचे जो काम करने वाले सैक्रेटरी व कमिश्नर्ज हैं उनकी तनख्वाहें 6– 6 और 7– 7 हजार रुपये के लगभग हैं, यह बात उचित दिखाई नहीं देती।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हू कि महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री कौ सालाना खर्चा लगभग 4 लाख रुपया तनख्वाह के इलावा है और हमारे मुख्यमन्त्री का सालाना खर्चा अब 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार किया गया है। उनके मुकाबले में बहुत ही थोड़ा है। जैसाकि मैंने अभी बताया कि मुख्यमन्त्री तो तनखवाह ले रहा है केवल 1500 रुपये महीना और उसके नीचे काम करने वाले सैक्रेटरी कमिश्नर्ज 6– 6, 7– 7 हजार मासिक वेतन ले रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि मुख्य मन्त्री के पास सारा हरियाणा आता है और लोग जब आते हैं तो कहते हैं कि हमें अपने नेता के दर्शन करने हैं। वे

चाहते हैं कि दो चार मिनट अपने प्रिय नेता के पास बैठें, गर्मी सर्दी मे आये हैं इसलिए कुछ चाय पानी भी होना चाहिये। इन सब बातों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि उनकी तनख्वाह अब भी बहुत कम है और जो उनका सालाना खर्चा है, वह भी बहुत कम है। हम यह महसूस करते हैं कि मन्त्रियों की तनख्वाह और अलांउसिज में और वृद्धि होनी चाहिये थी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि आज हरेक मन्त्री और एम० एल० एज० के पास उनके अपने अपने इलाकों से रोज 50— 50, 100— 100 और 200— 200 लोग आकर बैठ जाते हैं। वे सारा दिन इन्हीं लोगों की सेवा में ही लगे रहते हैं। जो लोग बेचारे आने जाने के खर्चे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिये यह प्रबन्ध भी मन्त्रियों व एम० एल० एज० को अपने पास से करना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मंत्रियों, एम०एल०एज०, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सैलरीज में और अलाउ सिज में अवश्य ही बढ़ौतरी की जानी संभव थी, जो इस विधेयक द्वारा की जा रही है। हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों की निस्बत सैलरीज व अलांउसिज बहुत कम हैं। इस विधेयक के आने से कुछ संतुष्टि का सांस मिला है। थोड़ी सी तनख्वाहें बढ़ी हैं लेकिन ये बैठे हुए भाई चाहे वे देहातों से हैं, चाहे. शहरों से हैं, बे अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि इस समय मंत्रियों की तनख्वाहें बढ़ाना कोई बड़ी बात नही है। अब भी ये तनख्वाहें कम है। इन शब्दों के साथ मैं इस

विधेयक का समर्थन करता हुआ और आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेत हूं।

श्री टेक चन्द (नरवाना): डिप्टी स्पीकर साहब, महंगाई की इतनी ज्यादा बढ़ौतरी को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों की तनख्वाह और महगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में जो संशोधन विधेयक पेश किया है यह कोई अचम्भे की बात नहीं है। आज के जमाने में महंगाई पिछले 20 साल से चार पांच गुना ज्यादा बढ़ गई है। इस महंगाई के जमाने में मंत्रियों की तनख्वाह 2500 या 3000 हजार रुपए करना कोई बड़ी बात नही है। मैं तो यह समझता हूं कि यह भी कोई ज्यादा तनख्वाह नही है। आज के जमाने में यदि किसी के पास ठीक साधन न हों तो वह दायें बायें देखता है और खर्चे बढ़ जाने के कारण भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बताया है कि जन प्रतिनिधि होने के नाते हमारे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे पास 50– 50 और 100– 100 आदमी आते हैं। इसके अलावा टैलीफोन के खर्चे के पैसे को अधिक बढ़ाना, फ्री हाउस की फैसिलि– टीय देना, दूसरी सुविधाएं देना या बिजली पानी की सुविधा देना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक है। इस तरह की मंत्रियों को फैसिलिटीज देना, कोई बड़ी बात नही है। उनको ऐसी सुविधाएं जरूर दी जानी चाहिएं। जो तनख्वाह बढ़ाई गई है और महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, जो पिछली सरकार में मती

होते थे उन पर अदालतों के अन्दर मुकदमें चले। उन मंत्रियों ने नौकरियां लगाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए। इसलिए उस सरकार के मंत्रियों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पैंडिंग है। उस समय की सरकार के एक मंत्री ने एक इंजीनियर की परमोशन के लिए 50 हजार रुपए मांगे। उस समय की सरकार के जमाने में नौकरियां बिकती थीं और जो तबादले किए जाते थे वे भी पैसे ले कर किए जाते थे। उस सरकार के जमाने में जो भी काम किये जाते थे उसके लिए उन्होंने अपने ऐजेंट छोड़ रखे थे। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो तनख्वाह बढ़ाई है और महंगाई भला बढ़ाया है वह यह समझ कर बढ़ाया है कि हम लोगों को स्वच्छ प्रशासन दे सकें और जनता के प्रतिनिधि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न करें। इसके साथ साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहता है कि इन मंत्रियों के पास या जो लोगों के प्रतिनिधि बन कर यहां आए हैं इनकी सम्पत्ति कितनी है, इस बात का ब्यौरा आदरणीय मुख्य मंत्री जी के पास जरूर होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि जिसको भी पांच साल एम० एल० ए० बनने का या मैली बनने का मौका मिलता है जब वह रिटायर होता है और जनता में चला जाता हे तो उस समय उसके पास इतनी सम्पत्ति हो जाती है जिसको हम यह कह सकते हैं कि उसने भ्रष्ट तरीकों से कमाई है। सीमित साधनों से इतनी ज्यादा सम्पत्ति नही हो सकती। ऐसा भी देखने में आया है कि मंत्री, एम० एल० एज० बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लेते हैं, मिल लगा लेते हैं, सिनेमाघर बना लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि 5 या 10 साल के

बाद मंत्री या एम० एल० एज० इस तरह का धंधा करते हैं कि उनका बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हिस्सा हो जाता है। वह इसलिए हो जाता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के तरीके अपनाए होते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बात का जरूर ध्यान रखे कि आज के जनप्रतिनिधि के पास कितनी सम्पत्ति है? इस बात का ब्यौरा मुख्य मैली जी के पास जरूर होना चाहिए। स्वच्छ प्रशासन देने के लिए यह बहुत जरूरी बात है। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों के फोर्थ पे कमिशन की बात आई थी कि उसे लागू किया गया है लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई हैं जिसकी अब भी कर्मचारी मांग कर रहे है। मैं यह भी कहता हूं कि टाईम बाउंड परमोशन होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो कर्मचारी जिस पद पर लगता है वह 20 या 25 साल के बाद जब रिटायर होता है तो उसी पद से रिटायर हो जाता है और उसकी जो तनख्वाह बढ़नी चाहिए वह भी कोई विशेष नहीं बढ़ती। इसलिए हरियाणा के कर्मचारियों के लिए भी टाईम बाउन्ड परमोशन की जाये। इस समय कर्मचारियों को 50,100 और 150 रुपये या थोड़े बहुत और प्रत्येक मास हाउस रैन्ट के मिलते हैं। ये रुपये आज की महंगाई में बहुत कम हैं। इसी प्रकार से अधिकारियों को भी अधिकतम 500 रुपये प्रति मास हाउस रैण्ट मिलता है लेकिन जिन मकानों में वे रहते हैं उनका किराया बहुत अधिक होता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कर्मचारियों अधिकारियों का हाउस रैण्ट बढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें टाईम बांउड परमोशन भी दी जानी चाहिए। इस बारे में सरकार को

खास तौर से ध्यान देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सूखा पड़ा हुआ है और मुख्य मंत्री जी के सूखा राहत कोष में पैसे जमा कराये जाने चाहिए लेकिन कर्मचारियों के वेतन नहीं बढ़ाये जाने चाहिए। यदि ऐसी मन्शा किन्हीं लोगों की है तो वह ठीक नही है। मैं तो ऐसा कहने वालों की बातों को थोथी मानता हूं। लोगों को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए यह जरूरी है कि कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों कें पास उचित साधन होने चाहिए। उनकी उतनी तनख्वाह कम से कम होनी चाहिए जिससे वे अपना गुजारा कर सकें ताकि वे भ्रष्ट न हों सकें और अपना जीवन ठीक प्रकार से चला सकें। इसलिए मैं अन्त में इस बिल का समर्थन करते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए स्थान लेता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता, हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन–भत्ता और हरियाणा विधान सभा सदस्य भत्ता तथा पैंशन संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब सारे प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ हो और उस समय जब मंत्रियों के भत्ते बढ़ाये जाते हैं तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी यही सोचेगा कि ये लोग विधान सभा में या कैबिनेट में बैठकर केवल अपने भले बढ़ाने के अलावा और कोई काम नही कर रहे। इस प्रदेश के कर्मचारियों का इस सरकार को बनाने मैं बड़ा योगदान रहा हे। प्रदेश में और देश में हर व्यक्ति

को प्रजातंत्र के तहत अगने विचार रखने की पूरी छूट है और यह भी सही हो सकता णै कि जो बात वह कह रहा हो वह उसके हिसाब से ठीक हो। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने लोगों में यह विश्वास दिलाया था कि हम भ्रष्टाचार को बन्द करेंगे। उसके बारें में मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल आसमान में हवाई बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है बल्कि हमें यह हकीकत की दुनिया में उन बातों को उतारना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने उद्देश्य में सफल हो पायेंगे। एक साधारण व्यक्ति भी आसानी से यह सोच सकता है कि क्या एक मैली केवल 1500 रुपये में अपना गुजारा कर सकता है। अगर मैली या विधायक जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं को आप ईमानदार रखना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम उतना केतन दिया जाये जिससे वे अपने परिवार का पालन–पोषण कर सकें। चौधरी देवी लाल जी को शायद अच्छी तरह से ज्ञान होगा कि हिन्दुस्तान को आजादी मिलने से पहले अंग्रेजों के समय पंजाब में जो सरकार काम करती थी, उस समय यदि मैं गलत नहीं हूं तो उस समय के मंत्री चौधरी छोटू राम, जो महान पुरुष होते थे, उनकी तनख्वाह 5000 रुपये मासिक होती थी। यह अलग बात थी कि वे महान पुरुष अपनी पे में से काफी पैसा गरीब लोगों को दे दिया करते थे। उस समय के एक मंत्री की तनख्वाह 5 हजार रुपये होती थी तो आज के समय उस हिसाब से 1 लाख नहीं तो कम से कम 50 हजार रुपये जरूर बैठती है। अगर आप किसी व्यक्ति को ईमानदार रखना चाहते हो, किसी मंत्री को ईमानदार रखना

चाहते हो और हमारी पार्टी तथा चौधरी देवी लाल जी के, भ्रष्टाचार बन्द के नारे को यदि पूरा करना चाहते हो तो हमें अपने मंत्रियों और दूसरों की पे बढ़ानी ही पड़ेगी। मंत्रिमंडल के सदस्य को कम से कम इतनी पे अवश्य मिलनी चाहिए

जिससे वह अपना गुजारा कर सके। यदि भ्रष्टाचार को हमने बन्द करना है तो शुरूआत हमें अपने घर से यानी मंत्रिमण्डल से ही करनी पड़ेगी। मैं तो यह समझता हूं कि आज के महंगाई के समय में एक मंत्री की पे 3000 रुपये मासिक भी कम है। अगर कोई यह कहे कि कहत के समय में ये खर्चे क्यों बढ़ाये जा रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि खर्चों को दूसरे तरीकों से या दूसरी चीजों पर कम किया जा सकता है। पिछले दिनों सदन में मंत्रियों के टेलीफोन तथा बिजली–पानी के खर्चे का महीना वाईज बयौरा मांगा गया था। उस ब्यौरे के कुछ आकड़े मैं बताना चाहता हूं। उप–मुख्य मैली जी का टेलीफोन का खर्चा 6700 रुपये, मुख्य मंत्री के निवास स्थान का 19557 रुपये, पुनिया साहब का 4836 रुपये और राम विलास जी का 3 हजार से कुछ अधिक रुपये का थीं। दूसरे मंत्रियों के ब्यौरे के बारे में मैं बताना ठीक नही समझता क्योंकि सभी का कम या ज्यादा खर्च ऐसा होता ही रहा है।

मेरा यह सुझाव है कि जो लोक मंत्रिगण के पास अपनी शिकायत ले कर आते हैं या दूसरे काम के लिए आते हैं वे काम सारे दिन भर में हो सकते हैं। औफिस का टाईम नौ से साढ़े पांच

बजे तक का है। अगर मंत्री इस टाईम में नेक नीयती से काम करें तो सारे प्रदेश की जनता का काम करसकता है। आदरणीय चौधरी देवी लाल ने अधिकारियों की एस० टी० डी० कटवा दी थी। इसलिए मंत्रियों के घरों से भी एस० टी० डी० कटवा दीजिए। उनके लिए टेलीफोन भत्ते की कोई निश्चित रकम निर्धारित कर दीजिए। चीफ मिनिस्टर को सारे प्रदेश के बारे में और बाहर का भी देखना पड़ता है इसलिए उनके घर पर एस० टी० डी० लगी रहनी चाहिए। दूसरे मंत्रियों के लिए टेलीफोन का दो हजार रुपये महीने भत्ता निश्चित कर दें, अगर उससे अधिक खर्च आये तो मंत्री अपनी जेब से दें। ऐसा करने से चार पांच हजार रुपये टेलीफोन का खर्च बच जायेगा और जो तन्खाह बढ़ी है उससे होने वाला घाटा इस तरीके से पूरा हो जायेगा। एक साल में मुख्य मंत्री, मंत्री आदरणीय स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब की तनख्वाह पांच लाख बनती है। इस तरह करने से सरकार जो आज कहत से पीड़ित है उस पर यह अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा। जो लोग गलत किस्म से टेलीफोन मिलाते हैं उनकी रखवाली हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण खर्चा बढ़ जाता शै लेकिन ऐसा करने से वह घट जायेगा। अगर किसी ने टेलीफोन करना है तो वह काल बुक करेगा। ऐसा करने से काफी पैसा बचेगा।

पिछले दिनों आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा फैसला किया था। उस फैसले के अनुसार मंत्रियों पर सैक्रेटेरियट आफिस में रहने पर पाबन्दी लगायी थी कि मंत्री इतने दिन

चण्डीगढ़ में रहेंगे। इसी विषय में सन् 1966 में एक ऐडमिनिस्टेरटिव रिफार्मज कमीशन बना था जिसके अध्यक्ष श्री के० हनुमन्तैया थे। उसने उस समय सिफारिशें की थी कि किस प्रकार से प्रशासन को चलाना है और किस प्रकार कम खर्च करना है। उसमें गवर्नर की अप्वायंटमैंट के बारे में भी सिफारिश की थी। उसमें सिफारिश की गई थी कि गवर्नर की अम्वांयटमैंट मुख्य मती की सहमति से की जानी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में उस बात की उल्लंघना की गई है। इसी तरह की सरकारिया कमीशन ने भी सिफारिश की थी लेकिन उसकी पालना भी नहीं की गई। उस सिफारिश में यह भी बात थी कि जब मंत्रिगण बाहर टूर पर जायें तो अपना टूर प्रोग्राम निश्चित करके जायें और दस दिन से ज्यादा बाहर टूर पर न रहें। दस दिन की सीमा लगा रखी थी। अगर कोई मिनिस्टर सरप्राइज चौकिंग पर जाना चाहे तो जा सकता है। पिछले दिनों सदन में चर्चा आयी थी कि अधिकारी लोगों की बीबियां और बच्चे स्कूलों में गाड़ियां ले कर जाते रहते हैं। अगर खर्चे पर पाबन्दी लगाना चाहते हैं तो पहले मंत्री लोग इस बात का पालन करें। वे खुद अपनी मर्जी से गाड़ी ले कर घर से बाहर या दिल्ली वगैरह न जायें। इस प्रकार उन पर पाबन्दी लगानी पडेगी। उनका अपनी मन मर्जीसे जाना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बारे में भी पहले से ही कुछ फैसले किए हुए हैं लेकिन उन फैसलों का पालन ठीक प्रकार से नही हो रहा है। मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन फैसलों को लागू करवाने के लिए प्रभावशाली पग उठाए जाएं ताकि इन से वांछित

लाभ मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, हनुमन्तैया आयोग की रिपोर्ट तथा हमारे चुनाव घोषणा–शव में यह बात आई थी कि उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। मैं समझता हूं कि इस सैशन में तो लोकायुक्त बिल लाना सम्भव नही है क्योंकि सैशन का समय कम रह गया है लेकिन मैं मुख्य मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगले सैशन में लोकायुक्त बिल अवश्य लाया जाये ताकि यदि कोई भी मन्त्री किसी प्रकार की गड़बड़ी करे अथवा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे तो उसके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रावधान हो सके। हमारे मुख्य मन्त्री जी भ्रष्टाचार जड से नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान कर दिये जाने से हरियाणा के मन्त्रिमण्डल की छवि न केवल हरियाणा में बल्कि सारे हिन्दुस्तान में उज्जवल होगी तथा हरियाणा के मंत्रिमण्डल की ओर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। इस प्रकार हरियाणा का मन्त्रिमण्डल पूरे देश में एक आदर्श मन्त्रिमण्डल साबित हो सकेगा। हनुमन्तैया आयोग की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मन्त्रियों के सरकारी तथा पर्सनल दौरों का भी हिसाब–किताब रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा कर दिया जाए तो इससे सरकार का काफी खर्चा बच सकता है। कर्मचारी यह कहते हैं कि इस सरकार को लाने में कर्मचारियों का योगदान था। इसमें कोई दो राय नहीं है परन्तु इसके साथ ही सारे प्रदेश के नागरिकों ने इस सरकार को भारी बहुमत से विजय दिलवाई है। जनता ने इतने भारी बहुमत से जो सरकार कायम की है, उससे

जनता की आशाएं और आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं तथा ऐसा होना स्वाभाविक है। अपनी नौ मास की अल्पावधि में इस सरकार ने जन–कल्याण के इतने कार्य किए हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। कोई भी सरकार पांच वर्ष का कार्य मात्र नौ मास की अवधि में नहीं कर सकती है लेकिन जो काम अब तक हुए हैं वे जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ही हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त ग्रामीण भत्ते का जिक्र भी आया है। मैंने पहले भी इस प्वांयट को उठाया है किलो कर्मचारी अपने घरों से दस या बीस किलोमीटर की दूरी पर काम करते हैं, उनको हाउस रैन्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी सरकार के खर्चे में काफी कमी हो सकती है। कार्यालयों में जो फाईलें चलती हैं, उनके कई–कई चौनल्ज बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर फाईल पहले क्लर्क से चलती है, उसके बाद सुपरिन्टैर्ण्डन्ट, अण्डर सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी आदि के रूप में पचासों आन्सटैक्ल्ल फाईल के रास्ते में हैं, जिन्हें पार करना साधारण व्यक्ति के बस का रोग नही है। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में कुछ सुधार किया जाए। इसके लिए ऐसी प्रणाली अपनाई जा सकती है कि जिस क्लर्क या असिस्टैंट को जो अलग–अलग काम सौंपा गया है वह अपने जिम्मे लगा काम पूरा करे और फाईल सीधी है? के पास चली जाए। उसके बाद की जिम्मेदारी हैड की हो। इसी प्रकार डायरैक्टर या इन्जीनियर–इन–चीफ की रिपोर्ट सीधी सचिव को

जाए बजाए इसके कि वह अण्डर सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी या ज्वांयट सैक्रेटरी के माध्यम से पहुंचे। मेरा यह सुझाव है कि बीच के सभी पद समाप्त कर दिए जाए। यदि यह पद समाप्त कर दिए जाएं तो एक तो भ्रष्टाचार खत्म करने में सहायता मिलेगी और दूसरे सरकार के खजाने में भी बचत होगी। इस प्रकार का प्रबन्ध पंजाब में लागू करने का प्रयत्न किया गया था, मैं समझता हू कि उसका अनुकरण करके इस में और सुधार किया जा सकता है। इस बारे सरकार को गम्भीरता से विचार करके इस प्रणाली को लागू करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी तय कर देना चाहिए कि किस व्यक्ति के पास कोई फाईल कितने दिन तक रह सकती है। यदि निर्धारित समय से अधिक समय तक कोई फाईल किसी व्यक्ति के पास पड़ी रहे तो इस बारे इन्क्वायरी की जानी चाहिए कि फाईल उसके पास क्यों पड़ी रही और उसने उसको ऐग्जामिन क्यों नहीं किया। दोषी पाए जाने वाले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ ऐक्शन लिया जाए। क्योंकि अक्सर फाईलें इसी लिए डम्प पड़ी रहती हैं कि अधिकारी/ कर्मचारी यह इन्तजार करते रहते हैं कि फाईल को पहिये लगें, कोई सुविधा शुल्क मिले तो फाईल आगे बढ़े लेकिन आज मैं समझता है कि वह रिश्वत का जमाना जा चुका एं। आज सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि यह सरकार चौधरी देवी लाल की सरकार, लोक दल भाजपा की सरकार, गरीब और मजदूर किसान की सरकार है। अगर सरकार के नोटिस में कोई हेराफेरी का केस आता है तो उसे पहले से भी सख्त कदम उठाने चाहिएं। यह सरकार कोई नई

सरकार नही है, यह तो एक आन्दोलन है। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां मन्त्रियों के भत्ते बढ़ाने की बात कही गई है, उसके साथ अगर मैं विधायकों की बात भी कह दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। आज साधारण आदमी यह चाहता है कि अगर वह किसी विधायक या मन्त्री के पास जाता है तो उसे चाय के समय चाय मिलनी चाहिए और खाने के समय खाना मिलना चाहिए। जब खर्चे की बात आती है तो कहते हैं इनके पास क्या कमी है? इसका अर्थ है कि उनको भ्रष्टाचार की छूट होनी चाहिए। जो आदमी ईमानदारी से रहना चाहे उसके लिए खर्च का भी पूरा प्रावधान होना चाहिए। आज एक चपरासी को जो एल० आई० सी० में काम करता है उसे 2200 रुपए तनखाह मिलती है। जब एक मन्त्री या विधायक को चपरासी से भी कम तनखाह मिलेगी तो वह स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं से हेराफेरी करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि मन्त्री और विधायक की तनख्वाह बराबर की जाए। मन्त्रियों को कार, कोठी, टैलीफोन और आफिस की अलग से सुविधा दी जाए बाकी तनखाह विधायक की भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी मन्त्री की हो। इसी तरह से जब एक उच्च अधिकारी हवाई जहाज की सैर कर सकता है तो विधायक और मन्त्री भी सरकारी काम के लिए हवाई जहाज की सैर क्यों न करे? इसलिए अगर ऐसा किया जाता है तो सरकार का खर्चा भी कम होगा और लोगों को भी ज्यादा सुविधा मिलेगी। इतना कहते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, आज के लिए चार बिल हैं और अभी यह पहला बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ है। इसका स्कोप भी बड़ा लिमिटिड है। आप हर मैम्बर के लिए टाईम फिक्स कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि 5– 7 मिनट से ज्यादा कोई न बोले।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मन्त्री महोदय ने सदन के समक्ष जो आदरणीय मुख्य मच्छी तथा अन्य मन्त्रियों के भलों के बारे में बिल रखा पैं इसके ऊपर हमारे साथियों ने काफी चर्चा की है। समय के मुताबिक क्या करना चाहिए और क्या जरूरी है इस बारे में काफी बहस हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि यह ठीक है कि आज महंगाई और रुपए के अवमूल्यन को देखते हुए यह निहायत जरूरी हो जाता है कि यह भत्ता या तनखाह और बढ़ने चाहिएं। अगर दूसरे राज्यों के मंत्रियों की तनखाह और भत्तों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इसको जस्टीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा डा० साहब ने कहा कि हमारे सरकारी कर्मचारियों की तनखाह का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो जन प्रतिनिधि आज यहां बैठे हैं उनके भले उनसे काफी कम हैं। शायद ऐसी भी बात हो जाती है कि चाहे कोई जन प्रतिनिधि है, प्रशासन अधिकारी या कर्मचारी है कोई भी है उसके लिए जीवन यापन का समय के मुताबिक अगर

हम पूरा इन्तजाम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि वह अपने साधन जुटाने के लिए होर कमी को पूरा करने के लिए इधर उधर जरूर हाथ मारेगा। यह सैद्धांतिक तौर पर होता भी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिये कि इस नयी सरकार के बनने के बाद पहला बजट अधिवेशन हो रहा है। सरकार बदलने के बाद कुछ कुदरती या नेचर के प्रकोप से यहां पर भयंकर सूखा पड़ा है। सूखे की वजह से यहां की जनता पर काफी बोझ पड़ा है। यह तथ्य सब लोग भली–भांति जानते हैं कि उसके लिये सरकार हर तरह से फंड्ज जुटाने की कोशिश कर रही है। सैटर से ये कल तक मांग करते रहे हैं कि अधिक पैसा दिया जाये इस सरकार ने यह भी माना है कि हमें सैटर से 37 करोड़ रुपया मिला है और और भी रुपया मांग रहे हैं। सूखा राहत फंड भी जनता या दूसरी मुख्तलिफ जगहों से ले रहे हैं। टैक्सिज भी बढ़ाये हैं चाहे वह बिजली के हों, चाहे शहरों में पानी और सीवर की सुविधाओं के हों, चाहे वह बिजली के मीटर के रूप में हो या मोटरों के किराये की वृद्धि के रूप में हों। विकास के सारे साधनों को ध्यान में रखते हुए और सूखा के असर को ध्यान में रखते हुए पैसा जुटाने की कोशिश की है ताकि विकास के कार्य में रुकावट न आ सके। ऐसे समय में अगर ये इस बढ़ौतरी को ठीक समझते हैं तो उचित नहीं है। जहां तक जनता में जन–प्रतिनिधियों का ताल्लुक है, आप का पद सर्वोच्च है। प्रजातन्त्र पद्धति में यह सर्वोच्च स्थान है। वह, डायरैक्शन देता है। इसलिये उसको लोग राजा कहते हैं। अगर हम लोग ही कोई ऐसी

लाईन या आदर्श स्थापित नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे समय में जब हम लोगों से लाखों–करोड़ों रुपया मांग रहे हैं, इधर सूखा राहत के लिये हम पैसा इकट्ठा कर रहे है, उधर लोग सूखे की वजह से परेशान हैं, यह तनख्वाह काफी समय से यही चल रही है, क्या यह उचित होगा कि इसको बढ़ाया जाये? हमारे साथी ने बताया कि परिवहन की सुविधा, मकान की सुविधा और टैलीफौन आदि की सुविधा पहले ही सरकार वहन कर रही है। इसके पश्चात दूसरे खर्चे बहुत ज्यादा नहीं रह जाते हैं। जब अब तक यह चलता रहा है, तो एक अच्छी सरकार का यह फर्ज बन जाता है कि इसको ऐसे ही चलने दे। आपकी यह बात लोक लाज के विपरीत कही जायेगी। है इसलिए इसकी मुखालफित नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसकी मुखालफित ही करनी है। (व्यवधान व शोर)किसी बात का फैसला देश और काल की परिस्थितियों के मुताबिक किया जाता है। जिस खदशे का मैंने जिक्र किया है उसकी जनता में चर्चा हो रही है। (व्यवधान व शोर)मेरे साथी यह कह रहे हैं कि कांग्रेसी लूट कर खा गये। यह लूट कर खाने की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की बात आयी तो भ्रष्टाचार की बात करने लगे। मैं उस मिल की उस बात में नहीं जाता। (व्यवधान व शोर)मुख्य मली जी की नीयत और भावना ठीक है। वह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। (व्यवधान व शोर)आप बाद में कह लेना। मैं मुख्य मन्त्री जी की भावना की कद्र करती हूं। उनकी भावना और कम्पेन शुद्ध है लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक कमीशन मुकर्रर कर दो जो इस बात को देखने के लिये हो ..

....।

आप लोग यह बात क्यों नहीं सोचते? आप यह कहकर भले ही लोगों को बहका लें कि कांग्रेस के टाईम भ्रष्टाचार ज्यादा था लेकिन आप यह बात जनता में जाकर पूछिये आपको जवाब मिल जायेगा। (शोर)

श्री उपाध्यक्षः हाजी मस्तान वाली बात रिकार्ड न की जाये।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः जनता यह कहती है कि कांग्रेस शासन में पहले अगर 100 फीसदी भ्रष्टाचार था तो अब 150 फीसदी भ्रष्टाचार है। इसलिये ऐसी बातें कहने का कोई यहां पर सवाल नहीं हे। मैं इस बात की हिमायत नहीं करता हूं जो कुछ कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार के बारे में हुआ है और न ही इस वक्त जो हो रहा है, उसकी हिमायत करता हूं। मेरा कहना यह है कि ऐसी भावना अवश्य ही होनी चाहिए कि इसको कन्ट्रोल किया जाए लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों चहक रहे हो? इससे कोई ज्यादा वफादारी शो नहीं होती। अगर ऐसी बात है तो आप जांच कमेटी बिठा लें। पता लूग जाएगा कि रेशो आपके अन्दर ज्यादा है या हमारे अन्दर ज्यादा है। (व्यवधान व शोर)

श्री उपाध्यक्षः महेन्द्र प्रताप जी, आपको बोलते हुए 8 मिनट हो गए हैं। आप जल्दी समाप्त कीजिए।

चौधरी महेन्द्र प्रतापः सिंह मुझे यह लोग बोलने ही नहीं दे रहे हैं।, यह बार–बार टोक रहे हैं। (व्यवधान व शोर)

श्री उपाध्यक्षः आप अपनी बात कह लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः इस बात पर कई बार चर्चा हो चुकी है। ईमानदार आदमियों की एक जांच समिति बना दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)यह बात कांग्रेस शासन में भी बुरी थी और वह बात अब भी बुरी है। (शोर एवं व्यवधान)। मैंने पांच सात दिन वहां रोटी नही खाई। (शोर एवं व्यवधान)मैंने तो कहीं आज तक एक समय भी रोटी नहीं खाई। मैं चौधरी साहब के फार्म पर रात को जरूर गया हूं। (शोर एवं व्यवधान)आप लोग तो सुनना भी नहीं चाहते। आप सुनिए तो सही। (शोर एवं व्यवधान)। महेन्द्र प्रताप किसी के फार्म पर नही गया। (शोर एवं व्यवधान)जहां तक भागने वाली बात है मैंने इस बारे में हाउस में पहले भी बता दिया था। आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए में आपका धन्यवाद कुरता हूं, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। (शोर एवं व्यवधान)उस समय कांग्रेस की वैव थी और आपने सहयोग दिया था तो मैं उस समय जीता था और आज लोकदल की वेव है तो भी मैं कांग्रेस की टिकट पर जीता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठिए। आपको काफी टाईम बोलते हुए हो गया है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः आप इनको तो रोकें। ये मुझे बोलने ही नहीं दे रहे है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भागी रामः इनके कुर्ते पाजामे आज भी मेरे पास हैं। (शोर एवं व्यवधान)।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, भागी राम कह रहे हैं कि मेरे कपड़े उनके पास हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हाउस में खम्भे पर यह लिखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः जो कुछ यहां लिखा है वह सब ने पढ़ा हुआ है। आप अपनी बात कहें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः भागी राम जी, धर्म की कसम उठाकर यदि आप यह कह दें कि मेरे कपड़े आपके पास हैं, तो जो सजा मुझे दी जाएगी वह मैं ग्रहण करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि आपके काम और बुनियाद झूठ पर आधारित है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः क्या आपने कुछ और बोलना है? (शोर एवं व्यवधान)मदान साहब आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था –

विकास मन्त्री (श्री हुक्म सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, इनको कपड़े दिलवाने का प्रबन्ध कर दें। (शोर एवं व्यवधान)।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इस काम के लिये यह समय अनुकुल नहीं है। आज जनता के मन के अन्दर यह बात पैदा हो जाती है कि ऐसे समय में जन प्रतिनिधि ही इस तरह की बात करने लग जाएंगे तो हरियाणा प्रदेश की जनता का क्या होगा? हरियाणा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों व अफसरों को जो राहत दी गई हैं, उनकी बात को यहां आधार बनाकर सरकार को इस तरह के बिल यहां नहीं लाने चाहिये थे, क्योंकि वे लोग तो जनता के अन्दर आ जाते हैं और आप तो प्रशासक हैं। इसलिये मेरी राय है कि या तो इस बिल को वापिस ले लिया जाए और यदि आप इस बिल को वापिस न लेना चाहें तो इसमें एक आध संशोधन कर दिया जाए कि जब तक प्रदेश के अन्दर राहत व ड्राऊट की स्थिति चल रही है तब तक इस बिल को लागू न किया जाए। सरकार इसे एक अप्रैल, 1988 से लागू करने जा रही है। इसको कम से कम सात–आठ महीनों तक के लिये मुलतवी कर (हवा जाए। हमारे विचार मे यह जनता के हक में होगा और जनता को भी कुछ राहत महसूस होगी। इस के लिये सब को मिल कर आगे आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी के सभी मैम्बर्ज की नजरें पैसे पर लगी हुई हैं। इसलिये नैतिकता और लोकराज का यह तकाजा है कि जो भी बात की जाए वह जनता के हित में हो। जनता के मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। इसलिये इस विधेयक को अगर वापिस ले लिया जाए तो बेहतर है वरना मेरे सुझाव पर विचार करते हुए

इसे अभी अप्रैल, 1988 से लागू न करके 8–9 महीनों तक मुलतवी कर दिया जाए। धन्यवाद।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और सभी ने इस बिल का समर्थन ही किया है। चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के मैम्बर हैं। उन्होंने भी समर्थन ही किया है परन्तु साथ ही यह कह दिया कि अभी इस के लिये समय अनुकूल नही है और यह विधेयक अभी लागू नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि ड्राऊट की कंडीशन्ज समाप्त न हो जाएं, उसके बाद इसको लागू कर देना चाहिये। इस तरह सेर उन्होने भी इस विधेयक का समर्थन ही किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, आज से लगभग 18 साल पहले मैली, उप मंत्री और राज्य मंत्रियों की तन्खवाहें फिक्स की गई थीं। अब 1988 में यह पहली अमैंडमैंट इस हाउस के अन्दर लाई गई है। उस समय जो सैलरीज फिक्स की गई थीं, उस बारे में हर आदमी जानता है कि आज से 18 साल पहले कीमतें कहाँ पर थी और अब कीमतें उस वक्त के मुकाबले में कहां तक चढ़ गई हैं।

हर व्यक्ति को इस बात का पता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह जो अमैंडमैंट लाई गयी है यह बहुत सोच विचार कर के ही यहां पर लायी गयी है और यह जानते हुए कि कुछ

लोग अवश्य इसका क्रिटिसिजम करेंगे। कुछ लोग. ड्राऊट की दुहाई जरूर देंगे और कुछ तरह तरह की बातें इस बिल के खिलाफ करेंगे। इन सब बातों पर पूरी तरह से गौर करके ही इस बिल को यहां इट्रोड्यूस किया गया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अंग्रेजों के जमाने में भी वजारतें हुअउा करती थीं। उस समय हरियाणा पंजाब के अन्दर ही था। पंजाब में, यनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी। जहां तक हम वेरीफाई कर पाए हैं, मैं इसको सही तो नहीं मानता, उस वक्त एक मन्त्री की तनख्वाह, हो सकता है कि इसमें 500, 400 रुपये का मामूली सा फर्क हो ज्यादा नहीं हो सकता, 5 हजार रुपये से कम नही थी। सन 1920,1930, 1940 और 1946 तक मंत्रियों की तनख्वाह पांच हजार रुपए थी लेकिन 1977 में 1500 रुपए थी जोकि बहुत ही विपरीत किस्म की बात है। पता नहीं, उस समय इतनी थोड़ी तनख्वाह और इतने थोड़े अलाउंस क्यों मुकर्रर किए गए? आपको पता है कि आजादी के फौरन बाद कांग्रेस पार्टी के हाथ में राज आ गया और उस कांग्रेस पार्टी के हाथ में इस देश का राज आ गया जिसको महात्मा गांधी जी की रहवरी मिली थी। महात्मा गांधी जी ने भारत स्वतंत्र होते ही कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये कांग्रेस का एक आन्दोलन था अब हमने स्वराज प्राप्त कर लिया है इसलिये अब काग्रेस को न रखा जाए। अलग से कोई राजनैतिक पार्टी बना दी जाए। इसका नाम बदल दिया जाए, अलग से कोई राजनैतिक नाम रख लिया जाए। डिप्टी स्पीकर

साहब, जिस समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस के रहबर थे उस समय कांग्रेस के माध्यम से जंगे आजादी लड़ी जा रही थी। कांग्रेस के नाम से हर व्यक्ति को श्रद्धा थी और हर व्यक्ति का सिर झुकता था क्योंकि उसके रहबर महात्मा गांधी जैसे लोग थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी वालों ने महात्मा गांधी जी की बात नहीं मानी। आज भी कांग्रेस के नाम से इनकी पार्टी चली आ रही है हालांकि उस कांग्रेस की कई शाखाएं हो गई हैं। श्री महेन्द्र प्रताप जी की जो पार्टी है वह कांग्रेस (आई)पार्टी है। वह कांग्रेस तो कभी की मर चुकी है जिसने देश की आजादी के लिये संग्राम किया था। जिस कांग्रेस के महात्मा गांधी जी रहबर थे, उसके प्रति लोगों में एक श्रद्धा थी लेकिन इस कांग्रेस ने बड़ा गलत माहौल पैदा कर दिया है। गुप्ता जी मुझे माफ करेंगे, आज वह जमाना आ गया है जब टोपी वाले को देख कर लोग कहते हैं कि जरूर कोई बड़ा मगरमच्छ है, यह खा जाएगा। जो टोपी महात्मा गांधी ने काग्रेस को दी थी जिसको पहनकर स्वयं सेवक निकलते थे और बिल्कुल सिर पर कफन बांध कर निकलते थे, वे अपनी जान न्यौछावर करने के लिये निकलते थे। अपने देश को आजाद कराने के लिये बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिये तैयार रहते थे। उस समय जब कोई उस टोपी को पहन कर निकलता था तो सभी लोग नतमस्तक हो जाते थे और मेरे जैसा कमजोर आदमी अपने मन ही मन जय बोलता था और कई आदमी खुले आम उसकी जय बोलते थे। लेकिन आजकल उस कांग्रेस में से बनी हुई इस कांग्रेस (आई)शाखा को लोग मगरमच्छ बोलने लग गए, जिसने

आज आदर्श का एक ढोंग रचाया है। आज की कांग्रेस पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यहां तक कहा है कि मुझे कोई बहुत बड़ा ओहदा दे दें, तन– ख्वाह की कोई जरूरत नहीं। मैं तो आनरेरी रहे लूंगा क्योंकि ऐसा कहने वाले लोग भ्रष्टाचार करते थे, बेईमानी और रिश्वत खोरी करते थे। ओहदे के नाम पर पैसा बटोरते थे और पता नही इनके क्या क्या धंधे थे? (शोर)जब हम इनका जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि जैसी आपके मन में बात है दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। (शोर एवं विघ्न)हम तो आपके सापने तथ्य रख रहे है। चौधरी भवन लाल और चौधरी बंसी लाल ने करप्शन का नंगा नाच नचाया था जो आपके सामने है। किस को नहीं पता कि जब चौधरी भजन लाल ने अपनी सियामी जिंदगी शुरू की थी उस समय उनकी माली हालत क्या थी और किस को नहीं पता कि चौधरी बंसी लाल ने जब राजनैतिक जीवन शुरू किया था उस समय वे किस स्तर के वकील थे? हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि उनके घर की क्या हालत थी? इस बारे में हर व्यक्ति को पता है। आज महेन्द्र प्रताप सिंह जी धौंस मारते हैं और कहते हैं कि कमीशन मुकर्रर कर लो। मैं इन्हें कहना चाहूंगा कि आपका जनता ने हमेशा हमेशा के लिये कमीशन मुकर्रर कर दिया है। हमने विपक्ष में रहते हुए भजन लाल के खिलाफ कमीशन भी मुकर्रर करवाये थे लेकिन उस कमीशन ने लिख दिया कि भजन लाल के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं होता। मैं इस बारे में यह कहता हूं कि आप यहाँ से बाहर निकल कर देश या प्रदेश में किसी व्यक्ति से पूछ लें कि क्या भजन लाल

ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर वह यह कह दे कि भजन लाल ईमानदार व्यक्ति है तो मैं जो सजा देना चाहे, भुगतने के लिये तैयार हूं। कोई भी यह नहीं कहेगा कि भजन लाल में ईमानदारी नाम की कोई चीज णै? (विघ्न)महेन्द्र प्रताप सिंह जी आप अपनीरू आत्मा से यहां खड़े हो कर कह दो कि भजन लाल बड़ा श्रेष्ठ और ईमान– दार आदमी है तो मैं आप द्वारा दी गई सजा भुगतने के लिये तैयार हूं। (विघ्न)

12.00 बजे

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः मैं तो अपनी बात कहता हू कि मैं ईमानदारी पर चलने की कोशिश करता हूं। आप दूसरों को कह रहे हैं? आप भी तो जो बात दूसरों के बारे में कह रहे हैं, उस पर चलें। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, ये अपने बारे में भी कह रहें हैं और मेरे बारे में भी कह रहे है कि ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए लेकिन भजन लाल के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः मैं तो अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूं। (बिघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, ये अपने बारे में तो कह रहे हैं लेकिन भजन लाल के बारे में कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि वे ईमानदार है। (विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्यः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चौधरी वीरेन्द्र सिंह, श्री भजन लाल के बारे में कह रहे हैं कि वे भ्रष्ट है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि अब तो हमारी अपनी सरकार है। यदि आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो आप उन्हें कटघरे में खड़ा करके दिखाओ। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अगर यह सरकार कमीशन मुकर्रर करने में लग जाये तो सैकड़ों कमीशन मुकर्रर करने पड़ेंगे। जिसको भी आप टटोलोगे वही भ्रष्टाचार के मामलों में लथपथ मिलेगा। इसलिए इस कांड को न उछाला जाये तो अच्छा ही है। जनता ने इनको सजा दी ही है। लेकिन फिर भी यदि आप का मन कमीशन मुकर्रर करने को कह रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद सरकार कभी कमीशन मुकर्रर करने पर विचार कर सकती है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)। अध्यक्ष महोदय, प्रोफैसर परमानन्द जी ने बहुत ही सुन्दर तरीके से इसे बिल के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने कहा है कि ड्राऊट कन्डीशंज में जो ये भत्ते बढ़ाये गए हैं या पे बढ़ाई गई उस पर लोग तरह तरह की चर्चा करेंगे। लेकिन इन बातों का जवाब उन्होंने स्वयं बड़े ही अच्छे तरीके से दिया है। इस भयंकर सूखे के बावजूद और भारत सरकार से पूरी मदद न

मिलने के बावजूद भी लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिये ज्यादा से ज्यादा साधन सरकार ने जुटाये है। इस बारे में सारे सदस्यों ने, इक्लूडिंग महेन्द्र प्रताप सिंह जी और तैयब साहब, यह नहीं कहा कि प्रदेश में किसी किसान को या किसी गांव को बिजली या पानी नहीं मिला। इनकी यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन इन्होंने इस बारे में खामोश ही रहना उचित समझा। (विघ्न)स्पीकर साहब हमने किसी भी पशु को हरियाणा की धरती पर मरने नहीं दिया। ड्राऊट कन्डीशन में किसी भी व्यक्ति की बिना मेहनताने के नहीं रहने दिया। इस बिल के पास हो जाने के बाद सरकार पर 4 लाख 33 हजार रुपये का फाईनैन्शियल बर्डन है यानी एक साल का चार लाख 33 हजार रुपया खर्चा है। यह हम खुद समझते हैं कि ड्राऊट कन्डीशन है और केवल हरियाणा प्रान्त में ही नहीं बल्कि सारे प्रान्तों में है। पिछली कांग्रेस सरकार जो हमारे माथे पर खर्चा मढ़ गयी, उसे मैं आगे चल कर बताऊंगा कि किस प्रकार से इस सरकार को मुश्किल में डाल कर चले गए। इस सरकार ने लोगों की सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ड्राऊट कन्डीशन में लोगों की पूरी सहायता की। आम जनता की पूरी मदद की और वह सैटिस्फाइड है। भाई रघु यादव जी ने इस बिल का समर्थन किया परन्तु कुछ बातें सरकारी कर्मचारियों के विषय में कहीं। सरकारी कर्मचारी हमारे अपने हैं। सरकारी कर्मचारियों ने हमारा पूरा सहयोग दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी कर्मचारियों ने हमारे आन्दोलन के समय और राज बनने से पहले

चुनाव में पूरा सहयोग दिया था। हम कहते हैं कि वे हमारे अपने भाई हैं, हरियाणा प्रान्त के हैं और हरियाणा प्रान्त उनका है। हरियाणा प्रान्त उनकी धरती है, हरियाणा प्रान्त का खजाना उनका अपना खजाना है। इसलिए हरियाणा प्रान्त की यह पहली सरकार है, हरियाणा प्रान्त पहला प्रदेश है जिसने फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट को कबूल किया है। अब कांग्रेस के भाई कहेंगे कि पिछली सरकार ने मान लिया था लेकिन पिछली सरकार को यह जचावट हो गई थी कि हम तो जा रहे हैं और कोई ऐसा तरीका अपनायें जिससे ये परेशान रहें। इन्होंने फोर्थ पे–कमीशन स्वीकार करने की घोषणा कर दी लेकिन लागू करके नहीं गये। इन्होंने सोचा कि अगर हम किसी तरह आ गये तो अपनी घोषणा को वापिस ले लेंगे। दूसरे, घोषणा करना इनका रोजाना का काम रहा था। इन्होंने यह घोषणा इसलिये भी की थी कि अगर इनकी सरकार आ गई तो ये मुश्किल में फंस जायेगे लेकिन हम ने उस घोषणा को फूल चढ़ाये। फोर्थ पे–कमीशन को मंजूर किया। 151 करोड़ रुपये हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को फोर्थ पे–कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर दिये.। वे इस प्रकार की एक कमेटी भी बना कर चले गये जिस ने ऐसे फैसले दे दिए जो ठीक नहीं थे। 151 करोड़ रुपये खजाने से चले गए लेकिन सरकारी कर्मचारी अभी भी असंतुष्ट हैं। भागदौड़ में फैसले हुए थे। जो इस प्रकार से फैसले होते हैं वे ऐंसे ही होते हैं। अब मौजूदा सरकार ने एक ऐनौमली कमेटी मुकर्रर की है। ऐनौमली कमेटी ने जितने भी सरकारी कर्मचारियों की यूनियन और ऐसो– सिएशन्ज थीं उनको

लगातार दो दिन बैठक करके सुना। एक–एक ऐसोसिएशन को पूरा टाईम दिया। एक एक इंडीविजुअल को पूरा टाईम दिया। देश के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है। जो भी तकलीफें थी वे कमेटी के सामने रखी गई हैं। हम सारी तकलीफात को ऐग्जामिन करेंगे उसके वाद फैसला करेंगे। ऐनौमली कमेटी सैशन समाप्त होने के बाद फिर मिलने वाली है। मैं अपने माननीय सदस्य श्री रघु यादव जी को यकीन दिलाना चाहता हू कि सरकार के परस जितने साधन हैं उनके हिसाब से कर्मचारियों के वेतनों में जो ऐनौमलीज रह गई है उनको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हू कि सरकारी कर्मचारी हमारे अपने हैं और हमें उनसे पूरा प्यार है। इन कर्मचारियों के सहारे ही प्रदेश की प्रगति सम्भव है क्योंकि सरकार की नीतियों को यह कर्मचारी ही इम्पलीमैंट करते और करवाते हैं। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे कर्मचारी भाई प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में हमारा पूरा साथ देंगे। हमारे माननीय साथी श्री किशन सिंह जी तथा अन्यों ने इस बिल पर बोलते हुए जुडिशियल औफिसर्ज की कठिनाईयों के बारे में प्रकाश डाला है और बताया है कि इन अधिकारियों को सफर करने तथा कार लोन आदि की कुछ सुविधायें दें। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जुडिशियल औफिसर्ज की तरफ से बीस–पच्चीस दिन पहले एक मेमोरैण्डम मैंने रिसीव किया है। उसे मैंने चीफ सैक्रेटरी के पास भेज दिया है। जब ऐनौमली कमेटी बैठेगी तो जुडिशियल औफिसर्ज की डिफिक्लटीज पर भी विचार कर लिया जाएगा। श्री टेक चन्द नैन

तथा अन्य माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लेते हुए इस ओर ध्यान दिलाया है कि जो मन्त्रिमण्डल में मन्त्री हैं, उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा लेना चाहिये। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सभी मन्त्रियों को पत्र लिखा था कि वे अपनी जायदाद का ब्यौरा दें। मेरे विचार में सभी मन्त्रियों ने अपनी जायदाद का ब्यौरा दे रखा है। वर्ष 1977 में जब चौधरी देवी लाल की सरकार बनी थी, उस मन्त्रिमण्डल के सभी मन्त्रियों ने भी अपनी जायदादों का पूरा विवरण सरकार को दे रखा था। वर्ष 1979 में जब सरकार बदली तो भजन लाल ने कोशिश की कि उस मन्त्रिमण्डल को बदनाम किया जाए। उन्होंने मन्त्रियों पर बड़े–बड़े ऐलिगेशन्ज लगाए। हमने चौलेन्ज किया कि मन्त्रियों ने अपनी जायदादों का ब्यौरा पहले ही दे रखा है। वे चाहें तो हर प्रकार से जांच पड़ताल करवा लें और यदि चाहें तो विजिलैन्स से पूरी जांच करवा लें। यदि किसी भ्रष्टाचार का पर्दा फाश कर सकते हैं तो करें। मुझे इस बात का फख्र है कि इस समय चौधरी भजन लाल सत्ता में होते हुए भी किसी मंत्री के खिलाफ किसी प्रकार का मुकद्दमा दर्ज नहीं करवा सके। मुझे पता है कि मुख्य मन्त्री जी ने मन्त्रियों की जायदादों का ब्यौरा मांगा है। चौधरी देवी लाल एक खुली किताब है, कांग्रेसियों की तरह भ्रष्ट नहीं हैं। हम में इन्हें कुछ नही मिलेगा। चाहे ये यह कहकर खुश होते रहें। (विघ्न)श्री हीरा नन्द आर्य जी ने यह सुझाव दिया कि मन्त्रिके के कुछ टैलीफोनों पर बिल ज्यादा आते हैं और इन पर सीलिंग होनी चाहिए। माननीय सदस्य की इत्तलाह के लिये मैं बता देना चाहता

हू कि चौधरी देवी लाल ने सरकारी खर्च घटाने के लिये बहुत से पग उठाए हैं। सबसे बड़ा अहम फैसला तो यह लिया गया है कि जो मन्त्री सरकारी दौरे पर जाएंगे वे रैस्ट हाऊस में ठहरने का खर्चा अपनी जेब से देंगे और अपने खाने–पीने का खर्चा भी खुद ही देंगे, कांग्रेसी मन्त्रियों की तरह मुफ्त में चार–चार मुर्गे नहीं डकारेंगे (हंसी)। अब हरेक मन्त्री अपनी जेब से बिल की अदायगी करता है और सादा खाना खाता है। यहां तक है कि मुख्य मती भी दौरे के समय ढाबे पर रोटी खाते हैं। टैलीफोन्ज के बारे में हमने यह फैसला किया है कि मुख्य मन्त्री, उप मुख्य मंत्री तथा उद्योग मन्त्री पर टैलीफोन कालों की सीलिंग नहीं होगी शेष सभी मन्त्रियों पर सीलिंग लगा दी गई है। अब मण्डियों पर दो महीने में दस हजार काल्ज की सीलिंग है। परसों के रोज एक सवाल आया था जो समय की कमी के कारण लग नहीं पाया था वरना मैं बताता कि आम काल का कितना बिल है? फर्ज करो दस हजार रुपए की सीलिंग है तो दस हजार रुपए का जो बिल आना चाहिए था, सब के बिल उससे कम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दस हजार की जो सीलिंग लगी हुई है उससे कम काले की हैं। यह बात मैं माननीय सदस्यों को इतलाह के तौर पर बताना चाहता था। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे आर्य साहब ने हनुमनतैया रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया था। मेरे ख्याल में मौजूदा सरकार बनने के पश्चात् हर मस्ती यह देखता है कि उनके पास फाइल पहुंचने तक कितना टाईम लगा। हम रिकार्ड करते हैं और नोट भी देते हैं कि क्यों इतना टाईम लगा इसको ऐक्सप्लेन

करें। जहां डिले होती है वहां हम ऐक्शन भी लेते हैं। एक बात मैं महेन्द्र प्रताप जी को कहना चाहता हूं कि हम आपको वैलकम करते हैं कि आप किसी मन्त्री की कोठी या किसी विधायक के घर किसी दिन जाकर देखें तो आपको वहां ऐसा माहौल मिलेगा जैसे उस मन्त्री या विधायक के घर बारात आई हो। कुछ लोगे कमरे में बैठे मिलेंगे, कुछ दफ्तर में बैठे मिलेगे, कोई हुक्का पी रहा है, कोई चारपाई पर सो रहा है और कोई सोफे पर सो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि लोग यह समझते हैं कि यह तेरा मन्त्री है, यह तेरा विधायक है। महेन्द्र प्रताप जी आपके कोठे तो बन्द रहते थे। आपके मन्त्री जब रैस्ट हाऊस में जाते थे तो उनके कमरों में कोई घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। स्पीकर साहब, बंसी लाल के किस्से मशहूर हैं। एक 80 साल के बुजुर्ग आदमी ने उनको माला पहना दी तो उसको थप्पड़ धर दिया। एक मुख्य मंत्री के लिये यह शर्म की बात है कि जनता का एक बुजुर्ग आदमी माला पहनाता है और वह उसे थप्पड़ मार दे। हमारे विधायक, हमारे मन्त्रिगण और हमारे मुख्य मंत्री जनता के सामने एक आदर्श हों, उनके ऊपर कोई अंगुली उठाने वाला न हो इसलिये हमने केवल इतनी सी तनखाह बढ़ाई है जिससे हम समझते हैं कि हम अपना गुजारा ईमानदारी से कर सकते हैं। आपको चाहिए था कि आप खुले तौर पर इस बात की ताइद करते कि बहुत बढ़िया फैसला किया गया है। ईमानदारी कायम रखने के लिये इतना पैसा कम से कम जरूरी है। स्पीकर साहब, अब मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister to move that the Bill be passed.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, **I** beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(2)दि हरियाणा लैजिसलैटिव असैम्बली स्पीकर्ज एन्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एन्ड अलाउसिज (अमैंडमैंट)बिल, 1988

Mr. Speaker: Now the Minister will introduce the

Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill,. 1988 and also move for its consideration.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1988.

Sir, **I** also move —

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's. Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1 Mr. Speaker: Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill .

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried. **Sub-Clause (1) of Clause 1**

Mr. Speaker: Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister to move that the Bill be passed.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, **I** beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(3)दि हरियाणा लैजिसलैटिव असैम्बली (अलाउन्सिज एन्ड पैन्शन ओफ मैम्बर्ज)अमैंडमैंट बिल, 1988

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब, दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैशन औफ मैम्बर्ज)अमैंडमैंट बिल, 1988 को इन्ट्रोडयूस करेंगे और इसको कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1988.

Sir, I also mqve-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of

Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by -clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

क्लाज 2

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं इस क्लाज में एक अमैंडमैंट मूव करना चाहता था कि जहां एक हजार रुपया है वहां बारह सौ कर दिया जाए। लेकिन इसकी राज्यपाल महोदय ने ऐप्रूवल देनी है। हमारा फैसला हो गया है। बाकी का जो प्रोसीजर है वह हम पूरा कर लेंगे। आज जिस शेप में यह बिल है उसको वैसे ही पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister to move that the Bill be passed.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(4)दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट (अमैंडमैंट)बिल, 1988.

Mr. Speaker: Now, the Development Minister will introduce the Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 1988 and also move for its consideration.

विकास मन्त्री (श्री हुक्म सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन)विधेयक, 1988 को इंट्रोडयूस करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन)विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक विकास मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। रूरल डिवैल्पमैंट फण्ड का अब सही मायनों में प्रयोग हो सकेगा। इसमें कोई एतराज की बात नहीं है कि सरकार जिन लोगों को नौमिनेट करे, अगर वे लोग ठीक काम न करें तो उनको हटाया जा सकता है। स्पीकर साहब, इस बोर्ड को बने हुए कई साल हो गए हैं लेकिन यह किस जगह है इसका किसी को पता नहीं है। चण्डीगढ़ में एक बोर्ड लगा हुआ देखा है लेकिन हरियाणा में कहीं भी इस बोर्ड की ऐक्टीवीटीज. नजर नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब रूरल डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया गया तो उस वक्त हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट ने विधेयक की कुछ क्लाजिज को स्ट्रक डाउन कर दिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस सम्बन्ध में केस पैन्डिग है। मेरा विचार है कि सदस्यों की एक समिति बनाई जाए जो सारी बातों की जांच पड़ताल करके ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिये, वहां सुविधाएं देने के लिये और वहां के लोगों की सहायता के लिये जो नियम और कानून हैं उनको अन्तिम रूप दे। मार्किटिंग बोर्ड में भी ग्रामों के विकास के लिये एक फण्ड है। जो लोग मण्डी में आते हैं उन लोगों की गाड़ियां खड़ी करने, ऊंट तथा दूसरे पशुओं को खड़ा करने तथा पानी का

प्रबन्ध करने की व्यवस्था ठीक प्रकार से की जानी चाहिए। इस समय मार्किटिंग बोर्ड इन सुविधाओं का ठीक प्रकार से प्रबन्ध नहीं कर पा रहा है। मन्डी के अन्दर और मन्डी के बाहर ये सुविधाएं देने का इन्तजाम हो सकता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस बारे में सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए और वह समिति सारी चीजों को देखकर कोई फैसला ले और उसके बाद कोई विधेयक लाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद): स्पीकर साहब, सरकार ने यह बिल प्रस्तुत करके प्रजातंत्र की प्रक्रिया को और मजबूत किया है। मैं यह कहना चाहता हुं कि मंत्रिमंडल निर्णय लेता है और मैम्बर्ज को नोमिनेट करता हे। लेकिन जब वह मन्त्रिमण्डल ही हट जाता है तो मैम्बर्ज का फिक्स टर्न के लिये बने रहना भी अनिवार्य नहीं होना चाहिये। इसलिये इस चीज को हटाने के लिये सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से जो पावर मांगी है वह एक लोकतांत्रिक प्रणाली में अति आवश्यक है। इसलिये यह बिल समर्थन के योग्य है। इसके साथ साथ मैं यह सुझाव भी कि जो बोर्ड है, उसको भी सरकार के समाप्त हो जाने पर औटोमैटिक्ली समाप्त हो जाना चाहिये। जब तक सरकार की अगली नियुक्ति न हो, उस बोर्ड के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उस बोर्ड की व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे सीनियर कुलीग श्री हीरा नन्द आर्य जी ने कहा है कि जो फण्डज गांव की प्रगति के लिये हैं और

गांव की बहबूदी के लिये हैं और जिनकी युटिलाईजेशन के लिये यह बोर्ड बनाया गया है, इसका कोई इफैक्टिव योगदान, गांव के लोगों को, किसानों को महसूस नही हुआ है। इसलिये मुझे विश्वास है कि यह लोकतांत्रिक सरकार इस तरफ बूरा ध्यान देगी। मैंने बजट पर बोलते हुए भी इस बोर्ड के बारे में चर्चा की थी कि यह एक बड़ा ही इफैक्टिव बोर्ड बनाया गया लए जोकि लोगों की बहबूदी और गांव की प्रगति के लिये अग्रसर है। हमारे प्लांनिग बोर्ड के चेयरमैन साहब ने बताया कि यह बोर्ड बना हुआ है लेकिन इस तरह से इफैक्टिव न होकर वह केवल कागजों में रह गया है। हम यह चाहते पैं कि जिस परपज के लिये यह बोर्ड बनाया गया है, उसके लिये काम करें, वह धन जुटायें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

विकास मन्त्री (श्री हुक्म सिंह): अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन सरकार द्वारा इसलिये यहां पर लाया गया है कि जिस नौन–औफिशियल मैम्बर को सरकार ठीक न समझे उसको इस विधेयक के तहत हटाया जा सकता है। श्री आर्य जी और बलबीर सिंह जी ने बोलते हुए कहा कि यह बोर्ड क्या है, इसके कार्य क्या हैं? मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यह हरियाणा ऐग्रीक्लचरल प्रोड्यूस मार्किट्स ऐक्ट के तहत एक परसैन्ट सैस लगाया जाता है और उससे जो रुपया इकट्ठा होता है उसके द्वारा गांव की छोटी मोटी सड़कें, गलियां, हस्पताल और गांव की उन्नति और विकास का कार्य किया जाता है। इस बोर्ड का मेन औब्जैक्ट रूरल

डिवेल्पमैंट है। इसी पर्पज के लिये यह बोर्ड जनवरी, 1987 में गठित किया गया था, जिसमें 9 औफशियल और 4 नौन–औफिशियल मैम्बर्ज नोमीनेट किये गये थे और अब इस बिल के अन्तर्गत सरकार किसी वक्त भी इन मैम्बरों को हटा सकती है। इस तरह का प्रावधान इस बिल के अन्दर रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं भाई आर्य जी व बलबीर सिंह जी को यह बताना चाहता हूं कि इन फण्डज का 16 करोड़ के करीब रुपया हमारे पास जमा है। कुछ लोगों ने इस सैस के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे ले रखे थे और जिन लोगों को स्टे नहीं मिला है उनसे बाकायदा वसूली हो रही है। इस सारे पैसे को हम गांवों के विकास के लिए खर्च करेंगे। साथ ही आर्य जी ने यह बताया कि मंडियों में विकास का काम होना चाहिए। मैं उनको यह बताना चाहता हूं मंडियों के विकास का काम तो मार्किटिंग कमेटीज द्वारा किया जाता है। यह पैसा हम गांवों की उन्नति और विकास पर लगाना चाहते हैं। इसके बारे में हम डिप्टी कनिशनर्ज से प्रस्ताव लेंगे कि किस गांव में क्या काम करना जरूरी है और गांव के विकास के लिए क्या–क्या करना चाहिए, गांवों में लोगों को क्या तकलीफें हैं, किन गांवों में डिस्पैसंरीज चाहिएं, किनमें गलियां चाहिएं, किन गांवों में लड़के चाहिएं और किनमें सफाई का काम चाहिए। इस तरह के कामों पर बोर्ड द्वारा यह पैसा खर्च किया जाएगा। डन शब्दों. के साथ मैं हाउस से निवेदन करुँगा कि इसको पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clauses by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—.

that clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

विकास मंत्री (श्री हुक्म सिंह): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पास किया जाए

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल सुबह 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

(तत्पश्चात सदन वीरवार, 7 अप्रैल, 1988 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।